रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 1991/अग्रहायण 25, 1913
No. 463] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 1991/AGRAHAYANA 25, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1991

सा.का.नि. 739(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव-मंगलूर पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में नवमंगलूर पोर्ट कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है।

7. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. पी.आर.-12016/10/91 पी.ई. I (खंड II)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

नव मंगलौर पत्तन न्यास, (सामान्य भविष्य निधि) प्रथम संशोधन विनियम, 1991

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलौर पत्तन न्यास मंडल, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1980 (28 मार्च, 1980 के भारत का राजपत्र असाधारण में जी.एस.आर. 157 (ई) के रूप में प्रकाशित) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :—

1. (i) इन विनियमों को नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम प्रथम संशोधन विनियम, 1991 कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. नव मंगलौर पत्तन न्यास (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1980) जो इसमें इसके बाद उपर्युक्त विनियम के रूप में उल्लिखित है) के विनियम 1 की अपधारा (झ) और साथ ही साथ उपविनियम (ङ) की उप धारा के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा ।

"छोटे भाई, अविवाहित बहनें एवं माता-पिता और यदि अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं है तो पितामह या या पितामही ।"

3. उपर्युक्त विनियम के विनियम 5 के उपविनियम 4 को निकाल दिया जाएगा और उप विनियम 5 तथा 6 को क्रमशः 4 और 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा । निम्नलिखित को उप विनियम 6 के रूप में रखा जाएगा ।

"इस नियम के प्रयोजन के लिए शिक्षुओं और परिवीक्षाधीनों को अस्थायी सरकारी कर्मचारी की तरह माना जाएगा ।"

4. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 6 में उप विनियम संख्या 1 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रथम परंतुक विद्यमान उपबंध से पूर्व रखा जाएगा ।

"बशर्ते जबकि अभिदाता अवयस्क है तो ऐसी स्थिति में वह वयस्कता प्राप्त कर लेने पर नामांकन भरेगा" इस उप विनियम के प्रथम और द्वितीय परंतुकों को द्वितीय एवं तृतीय परंतुक पढ़ा जाएगा ।

विनियम के अंतर्गत निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा।

"टिप्पण :—इस नियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "व्यक्ति" या "व्यक्तियों" के अंतर्गत कंपनी या एसोसिएशन या व्यष्टि निकाय आएंगे चाहे वे निगमित में हो या न हो । इसमें प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष या कोई भी पूर्त न्यास या अन्य न्यास या निधि भी शामिल होंगे, जिनके लिए नामांकन, सचिव या अन्य कार्यकारी के द्वारा किया जा सकता है जो अदायगी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हों ।"

5. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 7 को निम्न रूप में उपांतरित किया जाएगा :

"7 अभिदाता लेखा/प्रत्येक अभिदाता के नाम का एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी:

(i) उसके अभिदान की राशि ।

(ii) नियम 12 के अनुसार अभिदान पर ब्याज की राशि

(iii) निधि से लिए गए अग्रिमों तथा आहरणों की राशि ।"

6. अपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 8 में उप विनियम संख्या (1) में निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा :

"टिप्पण : अकार्य दिन के रूप में मानी गई अवधि के दौरान अभिदाता को अभिदान करने की आवश्यकता नहीं है ।"

विनियम के अंतर्गत उप विनियम संख्या (3) और (4) के रूप में निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाएगा :

"(3) अभिदाता ने यदि नियम 21 के अधीन निधि में से अपने खाते में जमा राशि निकाल ली है तो वह इस प्रकार निकाली गई राशि के पश्चात् निधि में अभिदान जब तक नहीं करेगा जब तक कि वह कार्य पर लौट नहीं आता ।"

"(4) उप नियम (1) के अंतर्गत कोई बात होते हुए भी, अभिदाता निधि में उस माह अभिदान नहीं करेगा जिस माह वह नौकरी छोड़ना है । यदि वह उक्त माह के लिए अभिदान करना चाहता है तो उसे उक्त माह के प्रारंभ होने से पूर्व इस संबंध में कार्यालय प्रधान को लिखित रूप में सूचित करना होगा ।"

विनियम 8 में निम्नलिखित उप विनियम (5) एवं (6) के रूप में जोड़ा जाएगा ।

(5) "अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी को अपनी सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान निधि में अभिदान करने की छूट होगी । इस प्रकार अभिदान को बंद करना "वैकल्पिक" न होकर अनिवार्य होगा ।"

(6) "ऐसे अभिदाता जो पी.एल.बी. या निष्पादन पुरस्कार के हकदार है, यदि वे चाहें तो योजना के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग को अपने भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं ।"

7. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 9 में उप विनियम (2) की उप धारा (क) के अधीन परंतुक (1) को निम्नलिखित रूप में उपांतरित किया जाएगा ।

"(1) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसने छुट्टी के दौरान निधि में अभिदान न करने का चयन किया हो या उक्त तारीख को निलंबित हो, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिसका हकदार वह कार्य पर लौटने के प्रथम दिन पर था।

8. इन विनियमों के विनियम 12 में उप विनियम 1 के अंतर्गत परंतुक 1 में दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति में आ रहे ब्याज के प्रतिशत को 4 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत पढ़ा जाएगा ।

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 12 में उप विनियम 4 के अधीन निम्नलिखित दूसरा परंतुक विद्यमान परंतुक के आगे जोड़ा जाएगा :

"परंतु यह और कि जब कि अभिदाता सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन किसी स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्ति पर होने पर, बाद में उक्त निगमित निकाय या संगठन में भूतलक्षी तारीख से आमेलित हो जाता है तो अभिदाता के नाम जमा संचित निधि पर ब्याज के परिकलन के प्रयोजन के लिए आमेलन से संबंधित आदेश जारी करने की तारीख को अभिदाता की जमा राशि की अदायगी की तारीख माना जाएगा, यह इस शर्त के साथ कि आमेलन की तिथि तथा आमेलन के आदेश जारी करने की तिथि के बीच के समय तक अभिदाता द्वारा जमा की गई अभिदान की राशि को, इस उप विनियम के अंतर्गत, केवल निधि में ब्याज के लिए जमा की गई राशि ही माना जाएगा ।"

निम्नलिखित उप विनियम के अधीन उप विनियम संख्या 6 और 7 के रूप में जोड़ा जाएगा :—

"(6) विनियम 11, विनियम 21 या विनियम 22 के उप विनियम (3) के अधीन अभिदाता के नाम निधि में प्रतिस्थापित राशियों पर ब्याज का आकलन उप नियम (1) अधीन उत्तरोत्तर विहित दरों पर और उस रीति के अनुसार किया जाएगा जैसा कि इस विनियम में उल्लिखित है ।"

विनियम के अधीन निम्नलिखित उप विनियम संख्या 4 के रूप में जोड़ा जाएगा :—

"(4) जब किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किश्त के चुकाने से पूर्व उप नियम (2) के अधीन कोई अग्रिम मंजूर किया जाता है तो इस प्रकार मंजूर अग्रिम राशि में पिछले अग्रिम की न वसूली गई राशि को जोड़ दिया जाएगा और वसूली जाने वाली राशि की किश्तों का निर्धारण समेकित राशि के आधार पर किया जाएगा ।"

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 14 में निम्नलिखित को उप विनियम (5) के रूप में जोड़े :—

(5) "सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान कोई भी अस्थायी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा ताकि लेखा अधिकारी सेवा निवृत्ति के एक माह पूर्व भुगतान आदेश जारी करने का कार्य पूरा कर सकें ।" फार्म संख्या VI "भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन-पत्र के प्रोफार्मा को संलग्न फार्म से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।"

11. उपर्युक्त विनियमों के अधीन विनियम संख्या 15 में, उपविनियम संख्या (3) के अधीन निम्नलिखित परंतुक को रखा जाएगा :—

"बशर्ते इस प्रकार का अग्रिम नामंजूर करने के पूर्व अभिदाता को, अग्रिम की वापसी क्यों न लागू की जाए ऐसी सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा और यदि अभिदाता उक्त पंद्रह दिन की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता है तो उस निर्णय के लिए अध्यक्ष को भेजा जाएगा और यदि उक्त अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इस उप नियम में विहित रीति से वसूली को लागू कर दिया जाएगा ।"

12. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 16 को निम्नलिखित रूप में उपांतरित किया जाएगा :—

"16 अग्रिम का सदोष उपयोग—इस विनियम में किसी प्रावधान के होते हुए भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी के पास इस प्रकार का संदेह करने की उचित कारण है कि नियम 14 के अधीन निधि से निकाली गई अग्रिम राशि का उपयोग मंजूर किए गए प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन पर किया गया है, तो वह अभिदाता को अपने संदेह के कारण सूचित करेगा और अभिदाता को उक्त सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर लिखित रूप में वह उत्तर देना होगा कि क्या उसने अग्रिम राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया है जिसके लिए उस वह अग्रिम मंजूर किया गया था । यदि उक्त 15 दिन की अवधि में अभिदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण से मंजूरीदाता प्राधिकारी संतुष्ट नहीं है तो मंजूरीदाता प्राधिकारी को प्रश्नगत राशि को तत्काल निधि में जमा करने के लिए आदेश दे सकता है या ऐसा न करने पर, अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त रूप में कटौती करने के आदेश दे सकता है चाहे अभिदाता छुट्टी पर भी हो। फिर भी, यदि संदाय की पूर्ण राशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो उसकी परिलब्धियों की आधी राशि के रूप में मासिक किश्तों के हिसाब से वसूली जाने वाली राशि तब तक काटी जानी चाहिए जब तक की पूरी राशि पूरी न हो जाए ।"

टिप्पण :—नियम में "परिलब्धियों" पद में निर्वाह-अनुदान सम्मिलित नहीं है ।

13. उपर्युक्त विनियमों के अधीन विनियम 17 में उप विनियम संख्या (2) की प्रथम चार पंक्तियों निम्नलिखित रूप में उपांतरित की जाएंगी :—

"(2) अभिदाता द्वारा (10 वर्ष) की सेवा (सेवा की खंडित अवधियों सहित, यदि कोई हो) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की तारीख के पूर्व दस वर्ष के भीतर, जो भी अवधि पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से निम्न किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए रकम निकाली जा सकती है, यथा ;

विनियम के अधीन उप विनियम (2) के अंतर्गत निम्नलिखित को उप विनियम (ग) के रूप में जोड़ा जाएगा और विद्यमान उपविनियम को उप विनियम (घ) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा :—

(ग) कार्य के स्थान से अलग स्थान पर पैतृक गृह के नवीकरण, परिवर्तन या परिवर्धन या रखरखाव के लिए या नव मंगलौर पत्तन न्यास से प्राप्त कर्ज की सहायता से कार्य स्थान से अलग स्थान पर बनाए गए गृह के लिए"

विनियम के अधीन निम्नलिखित को उप विनियम (3) तथा (4) के रूप में जोड़ें :—

"(3) अभिदाता की सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले छह माह के भीतर निधि में उसके नाम जमा राशि में से फार्म भूमि या कारबार परिसर या दोनों के अर्जन के लिए।"

"(4) वित्तीय वर्ष की अवधि में केवल एक बार, अभिदाता द्वारा स्वयं और अंशदायी आधार पर नव मंगलौर पत्तन न्यास के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारियों के लिए आयोजित समूह बीमा योजना के अंतर्गत अदा किए गए एक वर्ष के अभिदान की राशि के समकक्ष।"

विनियम के अधीन टिप्पण 2 को टिप्पण 6 के रूप में पढ़ा जाएगा और निम्नलिखित को टिप्पण 1 से 5 के रूप में रखा जाएगा :—

"टिप्पण 1. यदि अभिदाता ने, गृह निर्माण के लिए नव मंगलौर पत्तन न्यास से अग्रिम प्राप्त किया है या उसे इस संबंध में किसी अन्य मान्यता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत कोई सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिली है तो वह इस विनियम के उप विनियम 2 की उप धारा (क), (ग), (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रकम निकालने के लिए और साथ ही नियम 18 के उप विनियम 1 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लिए गए किसी कर्ज की वापसी के लिए भी हकदार होगा।

यदि अभिदाता के पास पैतृक गृह है या उसने कार्य के स्थान से अलग स्थान पर सरकार से कर्ज लेकर गृह निर्माण किया है तो वह अपने कार्य स्थान पर गृह स्थल की खरीद के लिए या एक और गृह के निर्माण के लिए या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए इस विनियम के अन्तर्गत अंतिम आहरण के लिए हकदार होगा।

टिप्पण 2—इस विनियम के उप विनियम 2 की उप धारा (क), (ग) और (घ) के अधीन आहरण सभी मंजूर होगा जबकि अभिदाता निर्माण किए जा रहे गृह या किए जाने वाले परिवर्तन या परिवर्धन से संबंधित योजना को, जहां पर स्थल या गृह स्थित हो उस क्षेत्र के स्थानीय नगर-पालिका निकाय से सम्यक रूप से अनुमोदित कराके प्रस्तुत करेगा और यह केवल उन्हीं मामलों में दिया जाएगा जबकि वास्तविक रूप से योजना अनुमोदित हो जाएगी।

टिप्पण 3 :—उप विनियम 2 की उपधारा (ख) के अंतर्गत आहरण की राशि आवेदन की तारीख पर शेष जमा राशि के तीन चौथाई से अधिक नहीं होगी जिसमें से उपधारा (क) के अधीन पिछले आहरण की राशि को घटा दिया जाएगा। फार्मूला इस प्रकार होगा : तीन चौथाई (आवेदन की तारीख पर शेष राशि तथा प्रश्नगत गृह के लिए पिछले आहरणों को जोड़कर) में से पिछले आहरण की राशि को घटाकर।

टिप्पण 4 :—उप विनियम 2 की उप धारा (क) के अधीन आहरण उस स्थिति में भी मंजूर किया जाएगा जबकि गृह स्थल या घर पत्नी या पति के नाम में हो बशर्ते पत्नी या पति अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य निधि प्राप्त करने वाला प्रथम नामित व्यक्ति हो।

टिप्पण 5 :—इस नियम के अधीन एक ही प्रयोजन के लिए एक बार आहरण अनुमत होगा। परन्तु अलग अलग बच्चों का विवाह या शिक्षा या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या उस गृह या फ्लेट में परिवर्तन या परिवर्धन जिसका नवीन प्लान, जहां वह गृह या फ्लेट स्थित है, स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित है, उनको एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा। उप विनियम (2) की उपधारा (क) या उपधारा (ग) के अन्तर्गत वित्तीय या तत्पश्चात आहरण टिप्पण 3 में निर्धारित सीमा के भीतर ही दिया जाएगा।

निम्नलिखित को उप विनियम 2 के अधीन टिप्पण 7 के रूप में रखा जाएगा :—

टिप्पण 7 :—सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान कोई भी आंशिक अंतिम आहरण नहीं दिया जाना चाहिए। फिर भी, असाधारण मामलों के विभागाध्यक्ष की मंजूरी से यह दिया जा सकता है। ऐसे मामले में कर्मचारी को यह भी सूचित कर दिया जाना चाहिए कि सेवा निवृत्ति से एक माह पूर्व अंतिम अदायगी के आदेश जारी करने में विलंब की संभावना हो सकती है। निम्नलिखित को उप विनियम संख्या 5 के रूप में जोड़ा जाएगा।

"(5) निम्नलिखित मामलों में भी सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम/अंतिम आहरण अनुमत होंगे।

(क) उन कर्मचारियों ने जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा (सेवा की खंडित अवधि को मिलाकर यदि कोई हो) पूरी कर ली है या जिनके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने में पांच वर्ष से कम रह गए हैं उन्हें मोटर कार/मोटर साइकिल या स्कूटर आदि खरीदने या इस प्रयोजन के लिए पत्तन से लिए कर्ज की वापसी के लिए उनके भविष्य निधि खाते से आंशिक अंतिम आहरण निम्न शर्तों के अधीन दिया जा सकता है :

(1) मोटर साइकिल/स्कूटर के मामले में कर्मचारी का मूल वेतन 3500 रुपए के समतुल्य होना चाहिए।

(2) मोटर कार खरीदने के लिए आहरण राशि की सीमा 25,000 रुपये तथा मोटर साइकिल/स्कूटर आदि खरीदने के लिए आहरण राशि की सीमा 4000 रुपए होगी। यदि इन वाहनों को खरीदने के लिए बुकिंग कराने के लिए जमा राशि का आहरण पहले किया गया है तो कर्मचारियों को शेष राशि का आहरण करने की अनुमति विनियमों में विहित कुल सीमा के अनुसार ही होगी। इस प्रयोजन (बुकिंग के लिए जमा राशि और खरीद करने के लिए अपेक्षित राशि को जोड़कर) के लिए आहरण की कुल राशि, आहरण की तिथि

पर अभिदाता के भविष्य निधि खाते में जमा राशि (ब्याज सहित) का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए या वाहन का वास्तविक मूल्य जो भी कम हो, होगी ।

(iii) 36 किस्तों में लौटाए जाने वाले अग्रिम को अध्यक्ष विशेष मामलों में उन कर्मचारियों को अनुमत कर सकता है जिनका 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी होने में छह मास का समय शेष है ।

(iv) उपर्युक्त (iii) के अनुसार अग्रिम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात अग्रिम राशि के बकाया शेष को अंतिम आहरण में बदलने की छूट दी जा सकती है ।

(v) इस प्रकार के आहरण एक बार ही अनुमत हों ।

(ख) जिन कर्मचारियों ने 28 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या जिनके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने में तीन वर्ष से कम रह गए हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपनी मोटर कारों की व्यापक मरम्मत या ओवरहाल के लिए भविष्य निधि खाते से अंतिम आहरण लेने की अनुमति दी जा सकती है :—

(i) वे कर्मचारी जिनका वेतन 1400 रुपए के समतुल्य है ।

(ii) आहरण की सीमा राशि निम्नलिखित में से जो भी कम हो, वह होगी, यथा; 5000 रुपए या अभिदाता के भविष्य निधि खाते में जमा राशि की एक तिहाई राशि या मरम्मत या ओवरहाल की वास्तविक राशि

(iii) कार की खरीद के साथ से कम से कम पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात यह आहरण अनुमत होगा। बरती हुई कार के मामले में प्रथम क्रेता द्वारा खरीद की प्रारंभिक तिथि को ध्यान में रखा जाएगा ।

(iv) इस प्रकार का आहर अभिदाता के पूरे सेवा काल में केवल एक बार ही अनुमत होगा ।

(ग) जिन कर्मचारियों ने 15 वर्ष की सेवा अवधि (खंडित सेवा अवधि को मिलाकर यदि कोई हो) पूरी कर ली है उन्हें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन मोटरकार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि की बुकिंग के लिये सामान्य निधि खाते से आंशिक अंतिम आहरण करने के लिए अनुमत किया जा सकता है :

(i) कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों में मूल वेतन मोटर कार के लिए 3500 रु. के समतुल्य और मोटर साईकिल/स्कूटर आदि के लिए 1500/– रु. होना चाहिए ।

(ii) आहरण राशि की सीमा, निम्नलिखित में से जो भी कम हो वह होगी, यथा; मोटरकार के लिए 10000 रु. तथा मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के लिए 500 रुपए या अभिदाता के भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के मामले में रजिस्ट्रेशन की वास्तविक राशि ।

(iii) आहरण की राशि, कार या मोटर साइकिल या स्कूटर आदि की बुकिंग की अपेक्षित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी ।

(iv) जमा रसीद, संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए आहरण लेने की तारीख से एक माह के भीतर अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए । ऐसा न करने पर आहरण की पूरी राशि वापिस करनी पड़ेगी ।

(v) यदि कर्मचारी कार/मोटर साइकिल/स्कूटर आदि नहीं खरीदता है या योजना से अलग हो जाता है तो उसे तत्काल अंतिम आहरण की राशि, विनिर्माता/डीलर से उस पर प्राप्त ब्याज सहित भविष्य निधि खाते में जमा कर देनी चाहिए ।

(vi) ऐसे विशेष मामलों में, जहां 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा की अवधि छह माह से कम होती है तो 36 किस्तों में वसूला जाने वाला अग्रिम मंजूर किया जा सकता है और यह अग्रिम 15 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आंशिक आहरण में परिवर्तित किया जा सकता है।

(vii) इस प्रकार का आहरण केवल एक अवसर पर सामान्य भविष्य निधि में आहरण के लिए विहित वर्तमान सीमा के अधीन ही अनुमत किया जा सकता है।

निम्नलिखित उप विनियम संख्या 6 के रूप में जोड़ा जाएगा :—

"(6) यदि अभिदाता नवीनतम उपलब्ध विवरण के साथ के अभिदान की जमा राशि के साक्ष्य सहित अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है तो सक्षम प्राधिकारी वापिस किए जाने वाले अग्रिम की भांति ही स्वयं विहित सीमाओं के भीतर आहरण की मंजूरी दे सकता है। ऐसा करते समय, सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले से मंजूर किए गए किसी आहरण या वापिस किए जाने वाले अग्रिम को ध्यान में रखेगा। जब कभी अभिदाता अपनी जमा राशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाता है या मांगी गई आहरण की राशि की स्वीकार्यता के संबंध में कोई संदेह हो तो सक्षम प्राधिकारी

को अभिदाता के नाम जमा राशि के संबंध में लेखा अधिकारी से सूचना मगानी चाहिए ताकि सक्षम प्राधिकारी आहरण की राशि को स्वीकार्यता का निर्धारण कर सके। आहरण की मंजूरी में प्रमख रूप से सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या दी जानी चाहिए और मंजूरी की एक प्रति सदैव ही लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए। यदि मंजूर किए गए आहरण की राशि अभिदाता नाम जमा राशि से अधिक है या अन्यथा अस्वीकार्य है तो अभिदाता को आहरित राशि को एक मुश्त रूप में निधि में वापिस जमा करना होगा और ऐसा न करने पर सक्षम प्राधिकारी अभिदाता की उपलब्धियों में से एकमुश्त रूप में या उन मासिक किश्तों में वसूल करने के आदेश देगा जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करेगा।

14. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 18 के अधीन उप विनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक एवं टिप्पण रखे जायेंगे :—

"बशर्ते किसी भी स्थिति मे विनियम 17 के अधीन उप विनियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आहरण की अधिकतम राशि, गृह निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह-निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करना) विनियम 1980 के अधीन विनियम 4, 5 और 6 में समय समय पर विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

"बशर्ते उस अभिदाता के मामले में जिसने नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करना) विनियम 1980 के अधीन पहले ही अग्रिम ले रखा है या किसी अन्य अनुमोदित योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर चुका है तो इस उप विनियम के अंतर्गत निकाली गई राशि और उपर्युक्त स्रोतों से ली गई राशि नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करना) विनियम, 1980 के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पण :—विनियम 17 के उप विनियम 1 की उपधारा (1) के अधीन अभिदाता को मंजूर की गई आहरण की राशि मंजूरी की तारीख से 12 महीनों की अवधि में यह अधिक से अधिक चार किश्तों में निकाली जा सकती है।

टिप्पण 2: उस मामले में जबकि अभिदाता को खरीदे गए स्थान, गृह या फ्लैट के लिए या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत या भवन निर्माण सहकारी समिति द्वारा निर्मित गृह या फ्लैट के लिए किश्तों में भुगतान करना पड़ता है, तो उसे जब भी कितनी भी किश्तों में भुगतान करने के लिए कहा जाता है उसे आहरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक भुगतान को नियम 17 के उप नियम (2 के प्रयोजन, के लिए अलग प्रयोजन के लिए भुगतान समझा जाएगा।"

विनियम के अंतर्गत उप विनियम 2 के अधीन निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :—

"बशर्ते इस उप विनियम के अधीन आहरण की राशि की वापसी की कार्रवाई करने से पूर्व अभिदाता को कार्रवाई वापसी की कार्रवाई क्यों न की जाए ऐसे सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा और यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है या उक्त 15 दिन की अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो मंजूरीदाता प्राधिकारी इस उप विनियम में विहित रीति के अनुसार वापसी की कार्रवाई को लागू कर सकता है।"

विनियम के अंतर्गत उप विनियम (3) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :—

"बशर्ते इस प्रकार की अनुमति तब आवश्यक नहीं होगी जबकि इसे आवासीय बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अधीन किसी अन्य निगम के पास बंधक रखा जाता है जो नए गृह के निर्माण के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए कर्ज देते हैं।

उप विनियम (4) की चौथी पंक्ति में आ रहे शब्द "ऐसी वापसी" और "और यह आदेश दिया जाएगा" के बीच में, "इस मामले में अभिदाता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने की पर्याप्त अवसर देने के पश्चात" शब्दों को रखा जाएगा।

उपर्युक्त विनियम के विनियम 18 के अधीन निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा :—

टिप्पण : यदि अभिदाता ने नव मंगलोर पत्तन न्यास से कर्ज लिया है और उस बदले में गृह या गृह स्थल को पत्तन न्यास बोर्ड के पास बंधक रखा है तो उसे निम्न रूप में घोषणा पत्र देना पड़ेगा, यथा :—

एतद्द्वारा मैं प्रमाणित करता हूं कि सामान्य भविष्य निधि से जिस गृह या गृह-स्थल के निर्माण या अर्जन के लिए मैंने अंतिम आहरण राशि प्राप्त की है वह मेरे कब्जे में है लेकिन पत्तन न्यास बोर्ड के पास बंधक रखा हुआ है।"

विनियम के अंतर्गत निम्नलिखित को उप विनियम 5 के रूप में जोड़ा जाएगा :—

"(5) अभिदाता को किसी भी स्थान पर गृह निर्माण के लिए दूसरा आहरण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए यदि उसे उसी स्थान या अन्य स्थान पर इसी प्रयोजन के लिए अंतिम आहरण प्रदान

किया जा चुका है। अन्य शब्दों में अंतिम आहरण एक गृह से अधिक के लिए अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।"

15. उपर्युक्त विनियमों में विनियम 19 के अधीन निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा :—

"टिप्पण :—नियम 17 के उप विनियम 1 के प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन के समय अभिदाता के नाम जमा लेखे में ब्याज सहित अभिदान की राशि में अग्रिम की बकाया राशि को मिलाकर शेष राशि माना जाएगा। प्रत्येक आहरण को अलग-अलग माना जाएगा और यही सिद्धांत एक से अधिक संपरिवर्तन पर लागू होगा।"

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 9 में आ रहे "उप विनियम (1) की उप धारा (ख) और (ग)" शब्दों का "उप विनियम (1) से (4)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

नीचे रखे फार्म को "फार्म IX(क) अग्रिम को अंतिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए आवेदन पत्र" के रूप में अपनाया जाएगा।

16. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 27 को निकाल दिया जाएगा और विनियम 28, 29, 30 और 31 का पुर्अंकन क्रमशः 27, 28, 29, और 30 किया जाएगा।

17. उपर्युक्त विनियमों के विनिमय 30 उप विनियम (क) उप धारा (ii) में दी गई 2300 रुपए की राशि का 2500 रुपए की राशि से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विनियम के अधीन टिप्पण 5 रखा जाएगा :

"टिप्पण 5 : इस योजना के संबंध में व्यय के बजट प्राक्कलन लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उसी रीति से तैयार किए जायेंगे। जिस प्रकार अन्य सेवा-निवृत्त लाभों के लिए तैयार किए जाते हैं।

प्रमुख विनियम :—

जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) दिनांक 28 मार्च 1980 जी.एस.आर. 157(इ) में अधिसूचित।

बी. महापात्र, अध्यक्ष

प्रशासनिक अधिकारी,
नव मंगलोर पत्तन न्यास पानाम्बूर
मंगलौर-575010

फार्म IX–क (विनियम संख्या 19)

अग्रिम को अंतिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए

आवेदन-पत्र का फार्म

1. अभिदाता का नाम
2. पद तथा कार्यालय का नाम
3. वेतन
4. भविष्य निधि का नाम एवं लेखा संख्या
5. आवेदन करने की तारीख पर इतिशेष (सामान्य भविष्य निधि अभिदाता के मामले में वास्तविक रूप से अभिदान की गई राशि सहित उस पर देय ब्याज सहित
6. (क) अग्रिम की बकाया राशि : जिसे अंतिम आहरण में परिवर्तित करना है

   (ख) प्राप्त अग्रिम पर देय ब्याज की राशि
7. (क) अग्रिम लेने का प्रयोजन

   (ख) अग्रिम की अदायगी की तारीख

   (ग) मंजूर अग्रिम की राशि
8. मंजूर किए गए अग्रिम के संसूचना का विवरण
9. यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए : पहले अग्रिम या अंतिम आहरण लिया गया है तो उसका विवरण दें

10. (क) आवेदन पत्र की तारीख पर सेवा काल, खंडित सेवा काल को मिलाकर, यदि कोई हो

(ख) आवेदन पत्र देने की तारीख : पर अधिवर्षिता आयु के लिए सेवा की अवधि

(ग) अधिवर्षिका की तारीख :

स्थान :
तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर
संख्या तारीख :

उपयुक्त विवरणों की जांच की गई और उन्हें ठीक पाया गया।

सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदनाम

आदेश

संख्या..... तारीख :

नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1980 के नियम 19 के अन्तर्गत..... कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....को..... (प्रयोजन) के लिए.....19.....को मंजूर तथा बिल संख्या.....द्वारा आहरित.....के सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की शेष राशि रुपये.....(रुपये .....) का अंतिम आहरण में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या परिवर्तित करने के लिए एतद्द्वारा..... .....की मंजूरी प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर.....
पद.....
तारीख.....

संख्या .....

प्रति प्रेषित :—

(1) .....
(2) .....
(3) .....आदि, आदि

हस्ताक्षर....
पद .....

फार्म VI (विनियम 14)

भविष्य निधियों से अग्रिम लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रोफार्मा

नव मंगलौर पत्तन न्यास

विभाग...../कार्यालय

.....से अग्रिम के लिए आवेदन पत्र

(निधि का नाम यहां लिखें)

1. अभिदाता का नाम
2. लेखा संख्या (विभागीय संकेताक्षर सहित)
3. पद
4. वेतन : रुपये

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को अभिदाता की जमा राशि निम्नलिखित है :

(1) वर्ष के विवरण के अनुसार अभिदाता इतिशेष 199··· रुपये

(2) मासिक अभिदान के रूप में जमा ······ में ······ रुपये

(3) रकम वापसी ··········· रुपये

(4) आहरित राशि.........से ········· तक रुपये

(5) निवल जमा शेष : रुपये

6. अग्रिम/बकाया राशि तथा अग्रिम लेने का प्रयोजन :

ली गई अग्रिम राशि	वर्तमान बकाया राशि
रुपये ··········	रुपये ············

7. अग्रिम की अपेक्षित राशि : रुपये

8 (क) अग्रिम लेने का उद्देश्य :

(ख) आवेदन पर लागू होने वाला नियम :

(ग) यदि अग्रिम गृह निर्माण के लिए लिया जा रहा है तो निम्नलिखित सूचना दें :—

(1) भू-खंड का स्थान और माप

(2) भू-खंड पूर्ण स्वामित्व में है; या पट्टे पर है

(3) निर्माण की रुपरेखा :

(4) यदि फ्लेट या भूखण्ड आवास : निर्माण सोसायटी से खरीदा जा रहा है तो सोसायटी का नाम, स्थान और माप आदि का उल्लेख करें

(5) निर्माण की लागत

(6) यदि फ्लेट डी.डी. ए. या अन्य आवासी बोर्ड आदि से खरीदा जा रहा है तो स्थान, लम्बाई, चौड़ाई आदि का उल्लेख करें

(घ) यदि अग्रिम बच्चों की शिक्षा के लिए लिया जा रहा है तो निम्न ब्यौरा प्रस्तुत करें :

(1) पुत्र/पुत्री का नाम

(2) कक्षा तथा संस्था/कालिज जहां अध्ययन कर रहे हैं

(3) दिवा छात्र है या होस्टल में रहते हैं

(ङ) यदि अग्रिम परिवार के बीमार सदस्य के उपचार के लिए अपेक्षित है तो निम्न सूचना प्रस्तुत करें :

(1) रोगी का नाम और उससे संबंध

(2) अस्पताल/डिस्पेंसरी/चिकित्सक जहां रोगी का इलाज हो रहा है

(3) बहिरंग/अंतरंग रोगी

(5) प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नहीं

टिप्पणी :—8(ग) से 8(ङ) के अधीन दिए जाने वाले अग्रिम के लिए किसी प्रमाणपत्र या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

9. समेकित अग्रिम की राशि (मद 6 और 7) तथा किश्तों की संख्या जिसमें इसे वापिस लौटाया जाना है रुपये..........किश्तों में

10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जिससे अग्रिम के आवेदन के औचित्य की पुष्टि हो सके।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम समझ और विश्वास में ठीक और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम ······

पदनाम ······

अनुभाग/शाखा ······

अनुबंध-II

नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1980 में संशोधन

क्रमांक	विनियम जिसमें संशोधन प्रस्तावित है	नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1980 में मौजूद प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
1	2	3	4	5
1.	विनियम 2	2. परिभाषाएं : (ङ) परिवार का अर्थ है-- 1. पुरुष अभिदाता के मामले में उसकी पत्नी या पत्नियां और उसके बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे। 2. महिला अभिदाता के मामले में, उसका पति और बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे।	"नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें और मां-बाप और यदि अभिदाता के मां बाप जीवित नहीं है तो पितामह या पितामही।" "नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें और मां-बाप और यदि अभिदाता के मां बाप जीवित नहीं है तो पितामह या पितामही।"	जैसा सी.सी.एस. (जी.पी.एफ.) 1962 में प्रावधान है।
2.	विनियम 4	4. पात्रता की शर्तें-- 1. एक वर्ष की सतत सेवा के पश्चात समस्त अस्थायी कर्मचारी, अंशदायी भविष्य निधि के पात्रों को छोड़कर पुनर्नियुक्त सभी पेंशनभोगी और समस्त स्थायी कर्मचारी निधि में अभिदान करेंगे। 2. वे समस्त अस्थायी कर्मचारी जो एक वर्ष की सतत सेवा किसी माह के बीच में पूरी करते हैं तो वे निधि में अभिदान पश्चातवर्ती माह से करेंगे।	4. पात्रता की शर्तें-- 1. एक वर्ष की सतत सेवा के पश्चात समस्त अस्थायी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के पात्रों को छोड़कर पुनर्नियुक्त सभी पेंशन-भोगी और समस्त स्थायी कर्मचारी निधि में अभिदान करेंगे। 2. वे समस्त अस्थायी कर्मचारी जो एक वर्ष की सतत सेवा किसी माह के बीच में पूरी करते हैं तो वे निधि में अभिदान पश्चातवर्ती माह से करेंगे।	अक्तूबर, 1990 में पानम्बूर में राज्य सभा की अधीनस्थ विधायन समिति की बैठक में किए गए सुझाव जिन्हें भू-तल परिवहन (पत्तन विंग) मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या पी आर-12016/10/91-पी ई आई तारीख 25-2-91 द्वारा सूचित किया गया।
		3. नियमित रिक्तियों के स्थान पर भर्ती हुए वे अस्थायी कर्मचारी जिनके एक वर्ष से अधिक सेवा में बने रहने की संभावना है वे एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले किसी भी समय निधि में अभिदान कर सकते हैं।	3. नियमित रिक्तियों के स्थान पर भर्ती हुए वे अस्थायी कर्मचारी जिनके एक वर्ष से अधिक सेवा में बने रहने की संभावना है, वे एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले किसी भी समय निधि में अभिदान कर सकते हैं।	
		4. बोर्ड, स्वविवेकानुसार किसी अन्य वर्ग के कर्मचारियों से निधि में अभिदान करने की अपेक्षा कर सकता है।	4. वे कर्मचारी जो किसी भी अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करते हैं उनसे निधि में अभिदान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।	
		5. वे कर्मचारी जो किसी भी अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करते हैं उनसे निधि में अभिदान करने की अपेक्षा नही की जाएगी।	5. निधि में कर्मचारी के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, यथा; (क) आवेदन फार्म-1 प्रस्तुत करना; (ख) लेखा संख्या का आबंटन। कार्यालय प्रमुख कर्मचारियों से एक वर्ष की सेवा पूरी करने के 3 माह पूर्व आवेदन फार्म-1 में प्राप्त कर लेगा।	
		6. निधि में कर्मचारी के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नलिखिते होगी यथा; (क) आवेदन फार्म। प्रस्तुत करना; (ख) लेखा संख्या का आबंटन। कार्यालय प्रमुख कर्मचारियों से एक वर्ष की सेवा पूरी करने के 3 माह पूर्व आवेदन फार्म-1 में प्राप्त कर लेगा।		

1	2	3	4	5
43.	विनियम 6	6. नामांकन 1. अभिदाता निधि में प्रवेश के समय लेखा अधिकारी को एक नामांकन पत्र भेजेगा जिसमें राशि देय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर या ऐसी स्थिति में जहां राशि देय हो गई है परन्तु अदायगी नहीं की गई है। एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को निधि में जमा उसकी राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा; परन्तु यदि नामांकन भरते समय अभिदाता का परिवार है तो वह नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के नाम ही भरेगा।	6. नामांकन 1. अभिदाता निधि में प्रवेश के समय लेखा अधिकारी को एक नामांकन पत्र भेजेगा जिसमें राशि देय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर या राशि देय हो गई है परन्तु अदायगी नहीं की गई है, एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को निधि में जमा उसकी राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा; "परन्तु यदि अभिदाता नाबालिग है तो वह बालिग होने पर ही नामांकन पत्र भरेगा; 'परन्तु यदि नामांकन भरते समय अभिदाता का परिवार है तो वह नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के नाम ही भरेगा; "परन्तु यह और कि अभिदाता यदि इस निधि में प्रवेश करने से पूर्व अन्य किसी भविष्य निधि में अभिदान कर रहा था और उक्त निधि में उसके नाम जमा राशि इस निधि में उसके नाम स्थानांतरित हो गई है तो यह समझा जाएगा कि उसने इस विनियम के अधीन विधिवत नामांकन कर दिया है जब तक कि वह इस विनियम के अनुसार नामांकन नहीं भरता है। टिप्पण :—इस नियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो "व्यक्ति" या "व्यक्तियों में, कंपनी या एसोसिएशन या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वे निगमित हों या न हों शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष या कोई पूर्त या अन्य न्यास का कोष भी शामिल होंगे जिसके लिए नामांकन सचिव या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी के जरिए से किया जाता है, जो राशि प्राप्त करने के लिए सक्षम हो।"
4.	विनियम 7	7. अभिदाताओं के लेखे : प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक लेखा खोला जाएगा जिसमें उसके अभिदान की राशि सहित उस पर विनियम 12 में विहित तरीके से निकाले गए ब्याज की राशि के साथ अग्रिमों तथा आहरणों का हिसाब रखा जाएगा।	7. अभिदाता का लेखा : प्रत्येक अभिदाता के नाम एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा :— (1) उसके अभिदान की राशि । (2) अभिदान पर नियम 12 में दिए हिसाब से ब्याज; (3) निधि से लिए अग्रिम और आहरण
5.	विनियम 8	8. अभिदान की दरें और शर्तें : 1. अभिदाता अपनी निलंबनाधीन अवधि को छोड़कर प्रत्येक माह निधि में अभिदान करेगा। परन्तु अभिदाता अपने विकल्प से चाहे तो ऐसी छुट्टी के दौरान जिसमें छुट्टी वेतन देय न हो या छुट्टी वेतन आधे वेतन से कम या समतुल्य हो, अभिदान नहीं करेगा :	

1	2	3	4	5
		परन्तु यह और कि निलंबनाधीन अवधि के पश्चात अभिदाता के बहाल हो जाने पर उसे अधिक से अधिक निलंबनाधीन अवधि के लिये देय अभिदान की बकाया राशि एकमुश्त या किश्तों में जमा करने की छूट होगी। "टिप्पण :—अभिदाता को अकार्य अवधि के दौरान अभिदान देने की आवश्यकता नहीं है।" (2) अभिदाता (विनियम 8 के उप विनियम (i) के प्रथम परन्तुक में संदर्भित) छुट्टी के दौरान अभिदान न देने के अपने विकल्प को लिखित रूप में लेखा अधिकारी को देगा। सम्यक रूप से और यथासमय सूचित न करने का अर्थ यह समझा जाएगा कि अभिदाता विनियम के अधीन अभिदाता द्वारा सूचित किया गया विकल्प अंतिम होगा।	"(3) यदि अभिदाता ने निधि में जमा अपनी राशि में से नियम 21 के अधीन आहरण किया है तो इस प्रकार किए गए आहरण के पश्चात् वह तब तक अभिदान नहीं करेगा जब तक कि कार्य पर लौट नहीं आता।" "(4) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी अभिदाता जिस माह में सेवा से अलग होता है उस माह के लिए वह जब तक अभिदान नहीं करेगा जब तक कि उक्त माह के प्रारंभ होने से पूर्व वह उक्त माह में अभिदान करने के अपने विकल्प को कार्यालय प्रमुख को लिखित रूप में सूचित नहीं कर देता।" "(5) अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति होने पर कर्मचारी को सेवा के अंतिम तीन माह में अभिदान न करने की छूट होगी। अभिदान का बंद किया जाना वैकल्पिक न होकर अनिवार्य होगा।" "(6) ऐसे अभिदाता जो पी एल बी या निष्पादन पुरस्कार के हकदार हैं, यदि वे चाहें तो योजना के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग को अपने भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं।"
6. विनियम 9	9. अभिदान की दर— (2) (क) बशर्ते कि—			
	1. अभिदाता यदि छुट्टी पर था और उसने छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चयन किया तो उक्त तारीख को उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिसका हकदार वह कार्य पर लौटने के प्रथम दिन पर था।	(1) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसने छुट्टी के दौरान निधि में अभिदान न करने का चयन किया हो या उक्त तारीख को निलंबित हो, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिसका हकदार वह कार्य पर लौटने के प्रथम दिन पर था।		

1	2	3	4	5
7.	विनियम 12	12. ब्याज—	12. ब्याज—	
		(1) उप विनियम (5) के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड अभिदाता के जमा खाते में उस दर से ब्याज की रकम जमा करेगा जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी,	(1) उप विनियम (5) के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड अभिदाता के जमा खाते में उस दर से ब्याज की रकम जमा करेगा जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी :	अक्तूबर 1990 में पानम्बूर में राज्य सभा की अधीनस्थ विधायन समिति की बैठक में दिए गए सुझावों के आधार पर जिन्हें भूतल परिवहन (पत्तन विंग) मंत्रालय ने अपने पत्र सं. पी आर 12016/10/91 पी ई आई तारीख 25-2-91 द्वारा सूचित किया गया।
		परन्तु किसी वर्ष के लिए यदि ब्याज की दर 4 प्रतिशत से कम निर्धारित की जाती है तो जिस वर्ष में पहली बार 4 प्रतिशत से कम ब्याज की दर निर्धारित की गई है उसके पूर्ववर्ती वर्ष में निधि में अभिदान करने वाले सभी अभिदाताओं को 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।	परन्तु किसी वर्ष के लिए यदि ब्याज की दर 8 प्रतिशत से कम निर्धारित की जाती है तो जिस वर्ष में पहली बार 8 प्रतिशत से कम ब्याज की दर निर्धारित की गई है उसके पूर्ववर्ती वर्ष में निधि में अभिदान करने वाले सभी अभिदाताओं को 8 प्रतिशत ब्याज दिया जायगा।	
		(2) विनियम 21, 22 और 23 के अधीन किसी राशि की अदायगी के अतिरिक्त उस पर दिया जाने वाला ब्याज अदायगी के समय के पूर्ववर्ती माह तक या उस राशि के देय होने वाले माह के पश्चात् 6 माह तक, जो भी अवधि कम हो, उस व्यक्ति को देय होगा जिसे इस राशि का भुगतान किया जाता है।		
		परन्तु लेखा अधिकारी यदि उस व्यक्ति को (या उसके एजेंट को) नकद भुगतान करने की तारीख सूचित कर देता है या उस व्यक्ति को चैक भेज देता है तो ब्याज सूचित की गई तारीख के पूर्ववर्ती माह तक की अवधि का या चैक भेजने की तारीख तक का जैसी भी स्थिति हो, दिया जायगा।	"परन्तु यह और कि जबकि अभिदाता सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन किसी स्वायत संगठन में प्रतिनियुक्ति पर होने पर, बाद में उक्त निगमित निकाय या संगठन में भूतलक्षी तारीख से आमेलित हो जाता है तो अभिदाता के नाम जमा संचित निधि पर ब्याज के परिकलन के प्रयोजन के लिए आमेलन से संबंधित आदेश जारी करने की तारीख को अभिदाता की जमा राशि की अदायगी की तारीख माना जाएगा; यह इस शर्त के साथ आमेलन की तिथि तथा आमेलन के आदेश जारी करने की तिथि के बीच के समय तक अभिदाता द्वारा जमा की गई अभिदान की राशि को, इस विनियम के अन्तर्गत, केवल निधि में ब्याज के लिए जमा की गई राशि माना जाएगा।"	
		5. यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को सूचित करता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता हो ब्याज उसके खाते में जमा नहीं किया जाएगा; परन्तु बाद में यदि वह ब्याज के लिए कहता है तो उसके ब्याज का आकलन, जिस वर्ष में वह कहता है उस वर्ष के प्रथम दिन से किया जाएगा और उसके खाते में जमा किया जाएगा।	"(6) विनियम 11, विनियम 21 या विनियम 22 के उप विनियम (3) के अधीन अभिदाता के नाम निधि में प्रतिस्थापित राशियों पर ब्याज का आकलन उप नियम (1) के अधीन उत्तरोत्तर विहित दरों पर और उस रीति के अनुसार किया जाएगा जैसा कि इस विनियम में उल्लिखित है।"	

1	2	3	4	5
			"(7) यदि ऐसा पाया जाता है कि अभिदाता ने निधि में अपनी जमा राशि से अधिक राशि निकाली है तो अध्यादान की राशि, चाहे वह निधि से अग्रिम या आहरण या अंतिम अदायगी के रूप में निकाली गई हो, उसे एकमुश्त रूप में ब्याज सहित लौटानी होगी या ऐसा न करने पर उक्त राशि अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त रूप में काट लेने के आदेश दिए जाएंगे। यदि वसूल की जाने वाली राशि अभिदाता की परिलब्धियों की राशि के आधे से अधिक हो, तो उसकी परिलब्धियों की आधी राशि के रूप में मासिक किस्तों के हिसाब से वसूली जाने वाली राशि तब तक काटी जानी चाहिए जब तक कि ब्याज सहित समस्त राशि पूरी न हो जाए।"	
8. विनियम 12	13. प्रोत्साहन बोनस स्कीम	विनियम 13 को निकाल दिया गया		
9. विनियम 14	14. निधि से अग्रिम (1)	14(1)		
	(घ) अपने किसी पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने को तात्पर्यित मामले के संबंध में अभिदाता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के दोष निवारण के लिए अभिदाता द्वारा संस्थित विधिक कार्यवाहियों के व्यय को वहन करने के लिये अग्रिम राशि दी जा सकेगी जो इसी प्रयोजन के लिए अन्य किसी स्त्रोत से अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगी।	(घ) अभिदाता उसके परिवार के सदस्य या वास्तविक रूप से उस पर आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की लागत को वहन करने के लिए अग्रिम राशि दी जा सकेगी जो इसी प्रयोजन के लिए अन्य किसी स्त्रोत (पत्तन) से अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगी।"	
	(2)	(4) जब किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किश्त के चुकाने से पूर्व उप नियम (2) के अधीन कोई अग्रिम मंजूर किया जाता है तो इस प्रकार मंजूर अग्रिम राशि में पिछले अग्रिम की न वसूली गई राशि को जोड़ दिया जाएगा और वसूली जाने वाली राशि की किश्तों का निर्धारण समेकित राशि के आधार पर किया जाएगा।"		
	(3)	(5) सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान कोई भी अस्थायी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा ताकि लेखा अधिकारी सेवा निवृत्त के एक माह पूर्व भुगतान आदेश जारी करने का कार्य पूरा कर सके।"		
		बशर्ते इस प्रकार का अग्रिम नामंजूर करने के पूर्व अभिदाता को अग्रिम की वापसी क्यों न लागू की जाए ऐसी सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी को लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर किया जाएगा और यदि अभिदाता उक्त 15 दिन की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता है तो उसे निर्णय के लिए अध्यक्ष को भेजा जाएगा और यदि उक्त अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस उप नियम में विहित रीति से वसूली को लागू कर दिया जाएगा।		

1	2	3	4	5
10.	विनियम 15	15. अग्रिम की वसूली-- (1) (2) (3) यदि अभिदाता को अग्रिम मंजूर किया जाता है और वह उसे ले लेता है और बाद में अग्रिम की वापसी पूरा होने से पूर्व नामंजूर कर दिया जाता है तो समस्त या आहरित राशि की शेष राशि अभिदाता को तत्काल निधि में लौटानी होगी या ऐसा न करने पर लेखा अधिकारी विनियम 14 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन अध्यक्ष या अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर उसकी परिलब्धियों में से एकमुश्त रूप में या अधिकतम 12 मासिक किस्तों के रूप में अग्रिम वसूली के आदेश दे सकता है।		

फार्म-VI

विनियम 14 देखें

भविष्य निधि से अग्रिम लेने के लिए आवेदन का प्रोफार्मा

नव मंगलौर पत्तन (.....) से अग्रिम लेने के लिए आवेदन पत्र ।
(निधि का नाम)

1. अभिदाता का नाम
2. लेखा संख्या
   (विभाग के नाम सहित)
3. पद :
4. वेतन :
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को अभिदाता की जमा राशि निम्नलिखित है ।
   (i) .....के विवरण के अनुसार अभिदाता का हितशेष
   (ii) जमा ..... से ..... तक
   अभिदान की राशि .....
   (iii) रकम वापसी :
   (iv) आहरित राशि .....से.....तक
   (v) निवल जमा शेष :
6. अग्रिम की बकाया राशि यदि कोई है और उसे लेने का प्रयोजन
7. अग्रिम की अपेक्षित राशि :
8. (क) अग्रिम लेने का प्रयोजन :
   (ख) आवेदन पर लागू होने वाले नियम :
9. कुल समेकित अग्रिम की राशि : (मद 6 और 7 का जोड़) और मासिक किस्तों की संख्या जिसमें इसे वापिस लौटाया जाना है :
10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जिसमें अग्रिम के आवेदन के औचित्य की पुष्टि हो सके ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

अनुभाग/शाखा .....

फार्म-VI

(विनियम 14)

भविष्य निधि से अग्रिम राशि के लिए आवेदन-पत्र का प्रोफार्मा

नव मंगलौर पत्तन न्यास

विभाग/कार्यालय

..... अग्रिम राशि के लिए आवेदन-पत्र
(यहां निधि का नाम भरें)

1. अभिदाता का नाम

2. खाता संख्या (विभाग का नाम सहित)

3. पद

4. वेतन रुपए

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को अभिदाता की जमा राशि निम्नलिखित है :

(i) वर्ष .....के वियरण के अनुसार हतिशेष रुपए

(ii) जमा ..... से ..... रुपए
मासिक अभिदान की राशि

(iii) रकम वापसी रुपए

(iv) निवल जमा शेष रुपए

6. अग्रिम राशि/बकाया राशि, यदि कोई हो तथा अग्रिम लेने का प्रयोजन प्राप्त अग्रिम की राशि रुपए ..... वर्तमान में बकाया राशि रु. .....

7. अग्रिम की अपेक्षित राशि रुपए

8. (क) अग्रिम की अपेक्षित राशि रुपए

(ख) अग्रिम लेने का प्रयोजन

(ग) आवेदन पर लागू होने वाला नियम

(घ) यदि अग्रिम मकान-निर्माण आदि के लिए लिया जा रहा है तो निम्न-लिखित सूचना दें:—

9. (i) प्लाट का स्थान तथा लंबाई-चौड़ाई

(ii) क्या प्लाट पूर्ण स्वामित्व में है या पट्टे पर

(iii) निर्माण का प्लान

(iv) फ्लैट/प्लाट भवन निर्माण सोसायटी से खरीदा जा रहा है तो सोसायटी का नाम, स्थान और लंबाई-चौड़ाई इत्यादि

(v) निर्माण की लागत

(vi) यदि फ्लैट डी. डी. ए. या अन्य आवासीय बोर्ड आदि से खरीदा जा रहा है तो उसके स्थान लंबाई-चौड़ाई आदि दी जानी चाहिए ।

(घ) यदि अग्रिम बच्चों की शिक्षा के लिए अपेक्षित है तो निम्न सूचना दी जानी चाहिए:—

(i) पुत्र/पुत्री का नाम

(ii) कक्षा तथा संस्था/कालिज का नाम जहां अध्ययन कर रहे हैं ।

(iii) दिवा छात्र हैं या होस्टल में हैं ।

(ङ) यदि परिवार के बीमार सदस्यों के लिए अग्रिम अपेक्षित है तो निम्न सूचना दी जानी चाहिए

(i) रोगी का नाम और उससे संबंध

(ii) अस्पताल/डिस्पेंसरी/चिकित्सक का नाम जहां इलाज हो रहा है

(iii) क्या बहिरंग/अंतरंग रोगी है

(iv) क्या प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नहीं

टिप्पणी:—यदि अग्रिम राशि 8(ग) से 8(ङ) के अधीन चाहिए तो प्रमाण-पत्र या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है ।

9. कुल अग्रिम (मद 6 और 7 का जोड़)
राशि और किस्तों की संख्या जिसमें इसे वापिस लौटाना है ।

10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जिसमें अग्रिम राशि के औचित्य की पुष्टि हो सके ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण ठीक और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

दिनांक:—

विभाग/शाखा

1	2	3	4	5
11.	विनियम 16	16. अग्रिम का सदोष उपयोग:—इन विनियमों की कोई बात होते हुए भी, यदि अध्यक्ष संतुष्ट है कि विनियम (14) के अधीन लिया गया अग्रिम, मंजूर प्रयोजन के लिए उपयोग न करके, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है तो प्रश्नगत राशि अभिदाता को तत्काल निधि में लौटानी होगी या ऐसा न करने पर अध्यक्ष अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त वसूली करने के आदेश दे सकता है चाहे अभिदाता छुट्टी पर ही हो । यदि वसूली जाने वाली राशि अभिदाता की परिलब्धियों की आधे से अधिक हो तो वसूली उसकी परिलब्धियों के अर्धांश की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती । स्पष्टीकरण:—इस विनियम में "परिलब्धियों में जीवन निर्वाह अनुदान" सम्मिलित नहीं है ।	"16 अग्रिम का सदोष उपयोग:—इस विनियम में कोई बात होते हुए भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी के पास संदेह का कारण है कि नियम 14 के अधीन लिया गया अग्रिम मंजूर प्रयोजन के लिए उपयोग न करके किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है तो वह अभिदाता को अपने संदेह का कारण सूचित करेगा और उससे अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर लिखित रूप में सूचित करे कि क्या अग्रिम धन उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था । यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी उक्त पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो मंजूरीदाता प्राधिकारी अभिदाता को तत्काल प्रश्नगत राशि को निधि में जमा करने के लिए आदेश देगा या ऐसा न करने पर उसकी परिलब्धियों में से एकमुश्त रूप में कटौती करने के आदेश देगा चाहे वह छुट्टी पर भी हो । यदि वसूली जाने वाली राशि अभिदाता की परिलब्धियों की आधे से अधिक हो तो वसूली, उसकी परिलब्धियों के अर्धांश की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि पूरी राशि उससे वसूल नहीं हो जाती ।"

1	2	3	4	5
			टिप्पण:–नियम में "परिलब्धियां" पद में जीवन निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं है ।	
12.	विनियम 17	17. निधि से आहरण:— (1) (2) अभिदाता की 15 वर्ष की सेवा पूरी होने पर या उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले दस वर्ष के भीतर, निधि में उसके नाम अभिदाय की ब्याज सहित जमा राशि में से, निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए, यथा:— (क) (ख) (ग) धारा (क) के अधीन आहरित राशि का उपयोग करने के लिए खरीदे गए स्थल पर मकान का निर्माण करने के लिए ।	"(2) अभिदाता की (दस वर्ष) सेवा (खंडित सेवा काल को जोड़कर, यदि कोई हो) पूरी होने पर या अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की तारीख से दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके नाम जमा राशि में से निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए, यथा:— "(ग) कार्य के स्थान से भिन्न स्थान पर पैतृक मकान के नवीकरण, परिवर्तन या परिवर्धन या रख रखाव के लिए या कार्य के स्थान से भिन्न स्थान पर नव मंगलौर पत्तन न्यास से लिए कर्ज की सहायता से बनाए गए मकान के लिए ।" "(घ) धारा (क) के अधीन आहरित राशि का उपयोग करने के लिए खरीदे गए स्थल पर मकान का निर्माण करने के लिए ।" "(3) अभिदाता की सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले छह माह के भीतर निधि में उसके नाम जमा राशि में से फार्म भूमि या कारबार परिसर या दोनों को अर्जित करने के प्रयोजन के लिए ।" "(4) वित्तीय वर्ष में केवल एक बार, अभिदाता द्वारा एक वर्ष में अभिदान के रूप में जमा की गई राशि के बराबर, स्वदित्त एवं अंशदान आधार पर नव मंगलौर पत्तन न्यास के लिए भारतीय जीवन बीमा द्वारा आयोजित कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में अदा करने के लिए ।"	
		टिप्पण 1:–विनियम 17 के अधीन एक समान प्रयोजन के लिए केवल एक बार आहरण अनुमत होगा । परन्तु अलग-अलग बच्चों का विवाह/शिक्षा या विभिन्न अवसरों पर बीमारी को एक समान प्रयोजन के रूप में नहीं माना जाएगा । टिप्पण 2:—विनियम 17 के अधीन आहरण मंजूर नहीं किया जाएगा, यदि उसी समय पर, एक समान प्रयोजन	टिप्पण 1:—अभिदाता ने यदि मकान निर्माण के लिए नव मंगलौर पत्तन न्यास से अग्रिम ले रखा है या किसी अन्य मान्यताप्राप्त आवासीय योजना से कोई सहायता प्राप्त कर रखी है तो वह इस विनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उप विनियम (2) की उपधारा (क), (ख), (घ) के अधीन और उपर्युक्त योजना के अधीन लिए गए किसी ऋण की अदायगी के	

1	2	3	4	5
		के लिए विनियम 14 के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा रहा है ।	प्रयोजन के लिए, नियम 18 के उप नियम (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट सीमा के अनुसार आहरण करने का हकदार होगा ।" यदि अभिदाता ने कार्य के स्थान से भिन्न स्थान पर सरकार से प्राप्त कर्ज की सहायता से मकान बनाया है या उसका पैतृक मकान है, तो वह कार्य के स्थान पर मकान स्थल की खरीद के लिए या अन्य मकान के निर्माण के लिए या बने बनाए फ्लैट का अर्जन करने के लिए, इस विनियम के अधीन अंतिम आहरण करने का हकदार होगा । टिप्पणी 2:—इस विनियम के उप विनियम (2) की उपधारा (क), (ग) और (घ) के अधीन आहरण तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक अभिदाता जहां स्थल या मकान स्थित है वहां निर्माण किए जाने वाले मकान या परिवर्तन या परिवर्धन करने से संबंधित प्लान को उस क्षेत्र की स्थानीय नगरपालिका निकाय से सम्यक् रूप से अनुमोदित कराके प्रस्तुत नहीं करता है । इस प्रकार की मंजूरी उन ही मामलों में दी जाएगी जिनमें प्लान वास्तविक रूप से अनुमोदित हो जाता है । टिप्पण 3:—विनियम 2 की उप धारा (ख) के अधीन, मंजूर की गई आहरण की राशि आवेदन की तारीख पर शेष राशि में उप धारा (क) के अधीन पूर्व आहरण की राशि को मिलाकर तीन चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें से पिछले आहरण की राशि को निकाल दिया जाएगा । फार्मूला इस प्रकार है : तीन चौथाई राशि (आवेदन करने की तारीख पर शेष राशि में प्रश्नगत मकान के लिए पिछले आहरणों की राशि को मिलाकर) जिसमें से पिछले आहरण को घटा दिया जाएगा । टिप्पण 4:—उप विनियम 2 की उप-धारा (क) के अधीन भी आहरण अनुमत होगा यदि मकान स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम में हो, बशर्ते अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में वह भविष्य निधि राशि प्राप्त करने के लिए प्रथम नामिती है ।	

1	2	3	4	5
			टिप्पण 5:—इस नियम के अधीन एक समान प्रयोजन के लिए केवल एक आहरण अनुमत होगा । परंतु अलग-अलग खर्चों का विवाह या शिक्षा को या विभिन्न अवसरों पर बीमारी को या ऐसे मकान या फ्लैट में और परिवर्तन या परिवर्धन करना जो मकान या फ्लैट के स्थान में संबंधित क्षेत्र के स्थानीय नगर पालिका निकाय से सम्यक रूप से अनुमोदित नए प्लान के अंतर्गत हो, इन्हें एक समान प्रयोजन नहीं माना जाएगा। उप विनियम 2 की उपधारा (क) या उपधारा (ग) के अधीन दूसरा या बाद का आहरण नियम 3 के अधीन विहित सीमा तक ही सीमित होगा ।"	
			टिप्पण 6:—विनियम 17 के अधीन आहरण मंजूर नही किया जाएगा यदि उसी समय पर, एक समान प्रयोजन के लिए विनियम 14 के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा रहा है ।	
			टिप्पण 7.—सेवा के अंतिम तीन महीनों में कोई भी आंशिक अंतिम आहरण अनुमत नहीं किया जाना चाहिए । तथापि आपवादिक मामलों मे विभागाध्यक्ष की मंजूरी से अनुमत किया जा सकता है । ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी को स्पष्ट रूप से सूचित कर देना चाहिए कि सेवा निवृत्ति से एक माह पूर्व अंतिम आहरण के आदेश जारी करने में विलंब की संभावना है ।	
			"(5)" निम्नलिखित मामलों मे भी सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम/अंतिम आहरण अनुमत है ।	
			(क) वे कर्मचारी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा (खंडित सेवा काल, यदि उसे मिलाकर) पूरी कर ली है या जिन्को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने मे 5 वर्ष से कम रह गए हैं, उन्हें अपने भविष्य निधि खाते से, मोटर-कार/मोटर साइकिल या स्कूटर आदि की खरीद के लिए या इस प्रयोजन के लिए पत्तन मे लिए ऋण की वापसी के लिए, आंशिक अंतिम आहरण करने की अनुमति निम्न-लिखित शर्तों के अधीन होगी :—	
			(i) कर्मचारी का मूल वेतन मोटर कार के मामले में 3500/- रुपए प्रति मास से समकक्ष और मोटर साइकिल/स्कूटर के मामले में 1500/- रुपए प्रतिमास होना चाहिए ।	

1	2	3	4	5
			(ii) आहरण की राशि की सीमा मोटरकार खरीदने के लिए 25000/- रुपए तथा मोटर साइकिल/स्कूटर आदि खरीदने के लिए 4000/- रुपए है । ऐसे मामलों जहां इन वाहनों की युकिंग कराने के लिए आहरण पहले ही किया जा चुका है तो कर्मचारी विहित अधिकतम सीमा राशि के अधीन होगा । इस प्रयोजन (बुकिंग के लिए जमा राशि में खरीद के लिए अपेक्षित राशि को जोड़कर) के लिए आहरित कुल राशि, आहरण की तारीख पर, अभिदाता के भविष्य निधि खाते में (ब्याज सहित) जमा राशि के 50 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं या वाहन का वास्तविक मूल्य जो भी कम हो, यह होनी चाहिए ।	
			(iii) विशेष मामलों में जिन कर्मचारियों की 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा की अवधि में केवल छह माह की अवधि शेष रह गई है, उन्हें अधिक से अधिक 36 किस्तों में वापिस किया जाने वाला अग्रिम अध्यक्ष द्वारा अनुमत किया जा सकता है ।	
			(iv) वे कर्मचारी जिन्हें उपर्युक्त (iii) के अनुसार अग्रिम अनुमत किया गया है उन्हें 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात बकाया राशि को अंतिम – आहरण में परिवर्तित करने की अनुमत किया जा सकता है ।	
			(v) उक्त आहरण केवल एक बार ही अनुमत होगा ।	
			(ख) जिन कर्मचारियों ने 28 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या जिन्हें अधिवर्षिता की आयु पूरी करने में तीन वर्ष से कम हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी मोटर गाड़ियों की व्यापक मरम्मत या ओवरहाल के लिए भविष्य निधि खाते से आहरण करने के लिए अनुमत किया जा सकता है :	
			(i) वे कर्मचारी जिनका वेतन 1400/- रुपए के समकक्ष है ।	
			(ii) आहरण की अधिकतम सीमा राशि 5000/- रुपए है या अभिदाता के नाम भविष्य निधि खाते में जमा राशि की एक तिहाई राशि या मरम्मत या ओवरहाल की वास्तविक राशि, जो भी कम हो ।	

1	2	3	4	5

(iii) आहरण करते समय कार की खरीद के समय से पांच वर्ष बीत जाने चाहिए । पुरानी कार के मामले में प्रथम खरीदार द्वारा प्रारंभिक खरीद की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा ।

(iv) इस प्रकार का आहरण अभिदाता को पूरे सेवा काल में केवल एक बार अनुमत होगा ।

(ग) जिन कर्मचारियों ने 15 वर्ष की सेवा (खंडित सेवा काल को मिलाकर यदि कोई हो) पूरी कर ली है उन्हें भविष्य निधि से आंशिक अंतिम आहरण, मोटरकार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि की बुकिंग के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ, अनुमत किया जा सकता है :

(i) कर्मचारियों का मूल वेतन केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों में 3500/- रुपए के समकक्ष मोटरकार के लिए और 1500/- रुपए मोटर साइकिल/स्कूटर के लिए होना चाहिए ।

(ii) आहरण की राशि की सीमा मोटरकार के लिए 10000/- रुपए और मोटर साईकिल/स्कूटर आदि के लिए 500/- रुपए है या अभिदाता के नाम सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि की 50 प्रतिशत राशि या मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के मामलों में रजिस्ट्रेशन की वास्तविक राशि जो भी कम हो ;

(iii) कार, या मोटर साइकिल या स्कूटर आदि की बुकिंग के लिए अपेक्षित राशि के आहरण की राशि अधिक नहीं होगी ।

(iv) आहरण की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच के लिए जमा रसीद प्रस्तुत कर देनी चाहिए। ऐसा न करने पर आहरण की कुल राशि वापिस करनी पड़ सकती है ।

(v) यदि कर्मचारी कार/मोटर साइकिल/स्कूटर आदि नहीं खरीदता है या योजना से अलग हो जाता है तो उसे तत्काल अंतिम आहरण की राशि विनिर्माता/डीलर से प्राप्त ब्याज सहित भविष्य निधि खाते में जमा करानी चाहिए ।

1	2	3	4	5
			(vi) विशेष मामलों में, यदि 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा में 6 माह की अवधि कम होती है तो 36 किश्तों में वसूला जाने वाला अग्रिम मंजूर किया जा सकता है और इस प्रकार मंजूर किया गया अग्रिम 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर आंशिक अंतिम आहरण में परिवर्तित किया जा सकता है ।	
			(vii) इस प्रकार का आहरण केवल एक बार ही अनुमत होगा और सामान्य भविष्य निधि में से आहरण के लिए वर्तमान में विहित समग्र सीमा के अधीन होगा ।	
			"(6) जब अभिदाता नवीनतम अपलब्ध विवरण और तत्पश्चात किए गए अभिदान की राशि के संदर्भ में सामान्य भविष्य निधि खाते में अपने नाम में जमा राशि के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है तो सक्षम प्राधिकारी वापिस किए जाने वाले अग्रिम के मामलों की भांति ही, विहित सीमाओं के भीतर, स्वयं आहरण मंजूर कर सकता है । ऐसा करते समय सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले मंजूर किए गए आहरणों या वापिस किए जाने वाले अग्रिमों को ध्यान में रखेगा । ऐसे मामले में, जहां अभिदाता अपने नाम जमा राशि के बारे मे सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाता है या मांगी गई राशि की स्वीकार्यता के बारे में कोई संदेह है, तो सक्षम प्राधिकारी को लेखा अधिकारी को सूचित करके अभिदाता के नाम जमा राशि के बारे में पता लगा लेना चाहिए ताकि आहरण की राशि की स्वीकार्यता निर्धारित की जा सके । आहरण की मंजूरी में प्रमुख रूप से सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या दी जानी चाहिए और उसकी प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए। यदि लेखा अधिकारी सूचित करता है कि आहरण की मंजूर की गई राशि अभिदाता के नाम जमा राशि से अधिक है या अस्वीकार्य है तो अभिदाता तत्काल निकाली गई राशि को एकमुश्त रूप में निधि में वापिस जमा करेगा और ऐसा न करने पर मंजूरीदाता प्राधिकारी जैसा भी अध्यक्ष निर्धारित करे अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त रूप में या मासिक किश्तों में काटने के आदेश देगा।	

1	2	3	4	5
13.	विनियम 18	18. आहरण की शर्तें:-- निधि में अपने नाम जमा राशि में से विनियम 17 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, किसी भी समय अभिदाता द्वारा निकाली गई राशि साधारणतया जमा राशि के आधे से या छह माह के वेतन से अधिक जो भी कम हो, नहीं होगी। तथापित मंजूरीदाता प्राधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, निधि में जमा राशि में से इस सीमा से अधिक यथा जमा राशि के तीन चौथाई तक निकालने की मंजूरी दे सकता है । (i) प्रयोजन जिसके लिए आहरण किया जा रहा है । (ii) अभिदाता की हैसियत ; और (iii) निधि में उसके नाम जमा राशि ।	"परन्तु किसी भी मामले में विनियम 17 के अधीन उप विनियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आहरण मकान निर्माण के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (मकान निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम 1980 के विनियम 4, 5 और 6 के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से, अधिक नहीं होगा । "परंतु अभिदाता ने यदि नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (मकान निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम 1980 के अधीन अग्रिम ले रखा है या किसी अन्य अनुमोदित योजना के अधीन अग्रिम ले रखा तो इस उप विनियम के अधीन निकाली गई राशि उपर्युक्त स्त्रोत से प्राप्त अग्रिम राशि को मिलाकर नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (मकान निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1980 में समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी । "टिप्पण:--विनियम 17 के उप विनियम 2 की उप धारा (क) के अधीन मंजूर आहरण की राशि किश्तों में निकाली जा सकती है । किश्तों की संख्या एक कैलेंडर वर्ष में चार से अधिक नहीं होगी और इनकी गणना मंजूरी की तारीख से की जाएगी ।

1	2	3	4	5
			टिप्पणः—ऐसे मामले में, जब अभिदाता को खरीदे गए भू-स्थल या मकान या फ्लैट के लिए या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं या मकान निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से निर्मित मकान या फ्लैट के लिए किश्तों में अदायगी करनी है तो जब कभी अदायगी के लिए उसे कहा जाएगा उसे किश्तों में आहरण करने की अनुमति दी जाएगी। नियम 16 के उपनियम 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक इस प्रकार की अदायगी एक अलग प्रयोजन के लिए अदायगी समझी जाएगी।	
		(2) जिस अभिदाता को विनियम 17 के अधीन राशि निकालने की मंजूरी दी गई है वह मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि में इस बात से उसे संतुष्ट करेगा कि निकाली गई राशि उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है जिसके लिए वह मंजूर की गई थी। ऐसा न करने पर निकाली गई समस्त सारी या उसका वह भाग जो उस प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है जिसके लिए यह निकाली गई थी, तो अभिदाता को, तत्काल विनियम 12 के अधीन निर्धारित ब्याज सहित, एकमुश्त रूप में समस्त राशि निधि को लौटानी पड़ेगी और ऐसा न करने पर मंजूरीदाता प्राधिकारी अभिदाता की परिलब्धियों में से, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित विधि से या तो एकमुश्त रूप में या मासिक किश्तों में काटने का आदेश देगा।"		
			"परन्तु इस उप विनियम के अधीन आहरण की वापसी लागू करने से पहले, अभिदाता को इस प्रकार की सूचना मिलने कि "आहरण की वापसी क्यों न लागू की जाए" के 15 दिन के भीतर लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा और यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी इस प्रकार किए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है	

1	2	3	4	5
			या उक्त पंद्रह दिन की अवधि में अभिदाता कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है तो मंजूरीदाता प्राधिकारी इस उप विनियम में दिए ढंग से राशि की वापसी को लागू करेगा।"	
		(3) जिस अभिदाता को विनियम 17 के विनियम 2 के अधीन निधि में से जमा राशि में से आहरण करने की मंजूरी दी गई है वह उस राशि से बनाए गए मकान या खरीदे गए गृह-स्थल को अपने कब्जे में रखेगा और मंजूरीदाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, न तो उसे बेचेगा, न बंधक (मंजूरीदाता प्राधिकारी के पास बंधक रखने के अलावा) रखेगा और न ही उपहार में देगा । साथ ही मंजूरीदाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना उक्त मकान या गृह-स्थल को तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए विनिमय या पट्टे के रूप में देगा और उस पर अपना कब्जा बनाए रखेगा। अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा कि मकान या गृह-स्थल जो भी हो, वह उसके कब्जे में है या बंधक रख दिया गया है या अन्यथा हस्तांतरित कर दिया गया है और यदि अपेक्षित हुआ तो मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले उक्त सम्पत्ति पर अपने हक संबंधी मूल विक्रय विलेख पर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।	जिस अभिदाता को विनियम 17 के विनियम 2 के अधीन निधि में से जमा राशि में से आहरण करने की मंजूरी दी गई है वह उस राशि से बनाए गए मकान या खरीदे गए गृह-स्थल को अपने कब्जे में रखेगा और (मंजूरीदाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, न तो उसे बेचेगा, न बंधक (मंजूरीदाता प्राधिकारी के पास बंधक रखने के अलावा) रखेगा और न ही उपहार में देगा। साथ ही मंजूरीदाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना उक्त मकान या गृह-स्थल को तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए विनियम या पट्टे के रूप में देगा और उस पर अपना कब्जा बनाए रखेगा। अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा कि मकान या गृह-स्थल जो भी हो, वह उसके कब्जे में है या बंधक रख दिया गया है या अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया गया है या यथापूर्वोक्त पट्टे पर दिया गया है और यदि अपेक्षित हुआ तो मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले उक्त सम्पत्ति पर अपने हक संबंधी मूल विक्रय विलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। "परन्तु आवासीय बोर्ड राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य निगम जो ऐसे मकान के निर्माण के लिए या विद्यमान मकान में परिवर्तन व परिवर्धन करने के लिए अग्रिम ऋण प्रदान करते हैं, यदि उनके पास बंधक रखा जाता है तो उक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

1	2	3	4	5
13.	विनियम 18	(4) यदि अभिदाता सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी मंजूरीदाता को पूर्व मंजूरी के बिना मकान या गृह स्थल पर से अपना कब्जा छोड़ देता है, तो उसे निधि में से निकाली गई राशि निधि में एक मुश्त रूप से तुरन्त लौटानी होगी और ऐसा न करने पर मंजूरीदाता प्राधिकारी अभिदाता की परिलब्धियों में से बोर्ड द्वारा निर्धारित विधि से या तो एकमुश्त रूप में या मासिक किस्तों में काटने के आदेश दे देगा ।	(4) यदि अभिदाता सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी समय मंजूरीदाता की पूर्व मंजूरी के बिना मकान या गृह-स्थल पर से अपना कब्जा छोड़ देता है, तो उसे निधि में से निकाली गई राशि निधि में एकमुश्त रूप में तुरन्त लौटानी होगी और ऐसा न करने पर, अभिदाता को इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, मंजूरीदाता प्राधिकारी अभिदाता की परिलब्धियों में से बोर्ड द्वारा निर्धारित विधि से या तो एकमुश्त रूप में या मासिक किस्तों में काटने के आदेश देगा। (टिप्पण) : यदि अभिदाता ने नव मंगलोर पत्तन न्यास से ऋण लिया है और उसके एवज में पत्तन न्यास बोर्ड के पास या गृह-स्थल बंधक रखा है तो उसे निम्नलिखित रूप में घोषणा करनी पड़ेगी यथा :— "मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस मकान या गृह-स्थल के निर्माण या अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि से अंतिम आहरण लिया है वह मेरे कब्जे में है लेकिन वह पत्तन न्यास बोर्ड के पास बंधक रखा हुआ है। (5) अभिदाता को किसी भी स्थान पर मकान निर्माण के लिए दूसरा आहरण मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, यदि उसे पहले ही उसी या अन्य स्थान पर इसी प्रयोजन के लिए अंतिम आहरण मंजूर किया जा चुका है। अन्य शब्दों में, अंतिम आहरण एक से अधिक मकान के लिए नहीं दिया जाना चाहिए।"
14.	विनियम 19	19. अग्रिम राशि को आहरण में परिवर्तित करना : यदि अभिदाता ने विनियम 17 के उप-विनियम (1) की उपधारा (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए विनियम 14 के अधीन अग्रिम राशि निकाल रखी है या बाद में निकालता है तो वही अपने विकल्प पर, विनियम 17 और 18 में दी गई शर्तों को पूरा करते हुए मंजूरीदाता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित आवेदन करके शेष बकाया राशि को अंतिम आहरण में परिवर्तित करा सकता है।	19. अग्रिम राशि को आहरण में परिवर्तित करना : यदि अभिदाता ने विनियम 17 के उप विनियम (1) से (4) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए विनियम 14 के अधीन अग्रिम राशि विकल्प पर, विनियम 17 और 18 में दी गई शर्तों को पूरा करते हुए मंजूरी-दाता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित आवेदन करके शेष बकाया राशि को अंतिम आहरण में परिवर्तित करा सकता है।

1 2 3 4 5

टिप्पण : नियम 17 के उप विनियम 1 के प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन के समय अभिदाता के नाम जमा ब्याज सहित अभिदान की राशि और अग्रिम बकाया राशि को मिलाकर शेष राशि माना जाएगा। प्रत्येक आहरण को एक अलग मामला माना जाएगा और यही नियम एक से अधिक आहरणों पर भी लागू होगा।

फार्म IX-क

(विनियम 39)

अग्रिम राशि को अंतिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए आवेदन-पत्र का फार्म :

1. अभिदाता का नाम :

2. पद और कार्यालय का नाम :

3. वेतन

4. भविष्य निधि का नाम और खाता संख्या :

5. आवेदन करने की तारीख : पर इतिशेष (सा.भ.नि. अभिदाता के मामले में वास्तविक रूप से दी गई अभिदान की राशि उस पर ब्याज सहित)।

6. (क) बकाया शेष राशि जिसे : अंतिम आहरण में परिवर्तित करना है।

(ख) प्राप्त अग्रिम राशि पर देय ब्याज :

7. (क) अग्रिम लेने का प्रयोजन :

(ख) अग्रिम की अदायगी की तारीख

(ग) मंजूर अग्रिम की राशि :

8. अग्रिम को मंजूर करने का पूर्ण ब्यौरा :

9. क्या कभी पहले उपर्युक्त उल्लिखित प्रयोजन के लिए कोई अग्रिम या अन्तिम आहरण लिया गया है, यदि हां, तो उसका विवरण

30. (क) आवेदन की तारीख पर कुल सेवा काल, खंडित सेवा काल को मिलाकर

(ख) आवेदन की तारीख पर अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने में बाकी बची सेवा अवधि

(ग) अधिवार्षिता की तारीख :

स्थान :
तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

1	2	3	4	5

सं..... तारीख...

उपर्युक्त विवरण जांच के पश्चात ठीक पाए गए

सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद नाम

आदेश

सं..... तारीख

नव मंगलौर पत्तन न्यास (सा.भ.नि.) विनियम, 1980 के नियम 19 के अंतर्गत .....कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी .....को (प्रयोजन) .....के लिए 19.....को मंजूर तथा बिल संख्या.....द्वारा निकाली सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की बकाया राशि रु..... (रुपये.....) का अंतिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए एतद्द्वारा.....की मंजूरी की जाती है।

(सामान्य भविष्य निधि खाता सं .....)

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

सं.:

प्रतिलिपि प्रेषित :

(i)

(ii)

(iii)

आदि, आदि

हस्ताक्षर.....

पदनाम

15.	विनियम 27	27. वैयक्तिक मामलों में उपबंधों और विनियमों की छूट : जब बोर्ड संतुष्ट हो कि इन विनियमों को लागू करने से अभिदाता को अनुचित कष्ट पहुंचता है या पहुंच सकता है तो बोर्ड, इन विनियमों में कोई भी प्रावधान होते हुए भी, ऐसे अभिदाताओं के मामले में, इस प्रकार की कार्रवाही करेगा, जो उचित और न्याय संगत हो ।	काट दिया गया

1	2	3	4	5
16.	विनियम 28	28. भारत में अभिदान की अदायगी करते समय, चाहे परिलब्धियों में से कटौती हो या नकद रूप में, लेखा संख्या दी जानी चाहिए । अभिदाता निधि में अपने लेखे की संख्या देगा जो उसे लेखा अधिकारी सूचित करेगा । इसी प्रकार यदि लेखा संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो लेखा अधिकारी अभिदाता को सूचित करेगा ।	27. भारत में अभिदान की अदायगी करते समय, चाहे परिलब्धियां में से कटौती हो या नकद रूप में, लेखा संख्या दी जानी चाहिए। अभिदाता निधि में अपने लेखे की संख्या देगा जो उसे लेखा अधिकारी सूचित करेगा । इसी प्रकार यदि लेखा संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो लेखा अधिकारी अभिदाता को सूचित करेगा ।	
17.	विनियम 29	29.	28	
18.	विनियम 30	30. निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना : अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर अभिदाता के नाम जमा राशि को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों के साथ, अभिदाता की मृत्यु के तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों की औसत शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा,	29	
		(क) उक्त अभिदाता के नाम जमा शेष राशि मृत्यु के माह के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में निम्नलिखित सीमा से कम नहीं होनी चाहिए :—		
		(i) 4000/—रुपए उस अभिदाता के मामले में, जो उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिक समय तक उस पद का धारक था जिसका अधिकतम वेतनमान 1300/— रुपए या अधिक था,		
		(ii) 2300 रुपए अभिदाता के मामले में जो उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिक समय तक पद का धारक था जिसका अधिकतम वेतनमान 900/— रुपए या अधिक लेकिन 1300/- रुपए से कम था ।	(ii) 2500/ रुपए उस अभिदाता के मामले में जो उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिक समय तक उस पद का धारक का जिसका अधिकतम वेतनमान 900/— रुपये या अधिक लेकिन 1300 रु. से कम था ।	
		टिप्पण 1 से 4	टिप्पण 1 से 4 टिप्पण 5 : इस योजना से संबंधित व्यय के बजट प्राक्कलन लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर उसी रीति से बनाए जायेंगे जैसे अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभों के लिए बनाए जाते हैं ।	
19.	विनियम 31	31	30	

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 1991

G.S.R. 739(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016|10|91-PE-I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

NEW MANGALORE PORT TRUST EMPLOYEES (GENERAL PROVIDENT FUND) FIRST AMENDMENT REGULATION, 1991.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) the New Mangalore Port Trust Board hereby makes, subject to the approval of the Central Government, under Section 124 of the above Act, the following Regulations to amend the New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund) Regulations, 1980 (published as GSR 157(E) in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th March, 1980 namely :—

1. (i) These Regulations may be called New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund) Regulations first Amendment Regulations, 1991.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the New Mangalore Port Trust (General Provident Fund) Regulations, 1980 (hereinafter referred to as the said Regulations). In Regulation 2 of the said regulations, add the following at the end of sub-clause (i) as well as sub-clause of sub-regulation (e).

"Minor Brothers, unmarried sisters and parents and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent."

3. In Regulation 4 of the said Regulations the sub-regulation 4 shall be deleted and sub-regulations 5 & 6 shall be renumbered as 4 and 5 respectively. The following shall be inserted as sub-regulation 6.

6. "Apprentice and probationers shall be treated as temporary Government servants for the purpose of this Rule."

4. In regulation No. 6 of the said Regulations under the sub-regulation No. 1 the following first proviso shall be inserted before the existing provision :

"Provided that when a subscriber is a minor, he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority."

The first and second provisos under this sub-regulation shall be read as second and third proviso.

The following note shall be inserted under the regulation :

"Note :In this rule, unless the context otherwise requires "person" or "persons" shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a fund such as the Prime Minister's National Relief fund or any charitable or other trust or fund, to which nomination may be made through the Secretary, or other executive authorised to receive payment."

5. The Regulation No. 7 of the said regulations shall be modified as follows :

"7. Subscribers Account, An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :

(i) his subscriptions.

(ii) interest, as provided by rule 12 on subscription.

(iii) advances and withdrawal from the fund."

6. In Regulation No. 8 of the said regulations under the sub-regulation No. (1) the following note shall be inserted :

"Note :—A subscriber need not subscribe during a period treated as "dies non".

The following sub-regulation shall be added as sub-Regulation No. (3) and (4) under the regulation :

"(3) A subscriber who has under rule 21 withdrawn the amount standing to his credit in the fund shall not subscribe to the fund after such withdrawal unless he returns to duty."

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) a subscriber shall not subscribe to the fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates for the Head of office in writing his option to subscribe for the said month."

In Regulation 8 the following shall be added as sub-regulations (5) & (6):

(5) "An employee due to retire on superannuation shall be exempted from making any subscription to the Fund during the last 3 months of his service. The discontinuance of subscription would compulsory and not 'optional'."

(6) "Such of the subscriber as are entitled to PLB or performance reward, may, if they so desire, deposit the whole or part of the amount admissible under the Scheme in their respective Provident Fund A|C."

7. In Regulation 9 of the said regulations, the proviso (i) under the sub-clause (a) of sub-regulation (2) shall be modified as follows :

"(1) If the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty."

8. In regulation 12 of this regulation the proviso 1 under sub regulation 1 the percentage of interest occuring in the 2nd, 3rd and 4th line shall be read as 8 per cent instead of 4 per cent.

In Regulation No. 12 of the said regulation under sub-regulation 4 the following 2nd proviso shall be inserted under the existing proviso :

"Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate of organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber becomes payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of order of absorption shall deemed to be subscription to the fund only for the purpose of awarding interest under this sub-regulation."

The following sub-regulation shall be added under regulation as sub-regulation Nos. 6 and 7.

"6 The interest on amounts which under sub-regulation (3) of regulation 11, reguation 21 or regulation 22 are replaced to the subscriber in fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub-rule (1) of this regulation and so far as may be in the manner described in this regulation."

"7 In case a subscriber is found to have drawn from the fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lumpsum, or in default be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscribers emoluments, recoveries may be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest is recovered."

9. The regulation No. 13 of the said regulations shall be deleted.

10. In regulation No. 14 under the said regulations, sub-regulation 1(d) shall be modified as follows :

"(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent on him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source (Port)."

The following shall be added as sub-regulation No. 4 under the regulation.

4 when an advance is sanctioned under sub-rule (2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount."

In regulation 14 of the said regulations, add the following as sub-regulation (5).

(5) "No temporary advance shall be sanctioned during the last 3 months of service in order to enable the Accounts Officer to complete the task of issuing authority for payment one month before the retirement" The proforma for "application for advance from Provident Fund" Form No VI shall be substituted by the form attached.

11. In Regulation No. 15 under the said regulation, the following proviso shall be inserted under sub-regulation No. (3) :

"Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment should not be enforced and if any explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days it shall be referred to the Chairman for decision and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment shall be enforced in the manner prescribed in this sub-rule."

12. The Regulation No. 16 of the said regulations shall be modified as under :

"16. Wrongful use of advance.—notwithstanding anything contained in this regulation, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as advance from the fund under Rule 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reason for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by

the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If however, the total amount to be repaid be more than half the subscribers emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him."

Note :—The terms "emoluments" in the rule does not include subsistence grant

13. In Regulation No. 17. under the said regulations, the first four lines of sub-regulation No. (2) shall be modified as follows :

"(2) After the completion of (ten years) of service (including broken periods of service if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the fund for one or more of the following purposes, namely;

Add the following under sub-regulation (2) as subclause (c) renumbering the existing sub-clause as subclause (d) under the regulation :

(c) Renovating additions or alteration or up keep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the NMPT at a place other than the place of duty."

Add the following sub-regulations (3) and (4) under the Regulation :

"(3) Within six months before the date of subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the fund for the purpose of acquiring a farm land or business premisesor or both."

"(4) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the employees organised by L.I.C. of India for N.M.P.T. on self financing and contributing basis."

Note 2 under the regulation shall be read as note 6 and the following inserted as Notes 1 to 5 :

"Note 1 : A subscriber who has availed himself of an advance under the N.M.T.P. for the grant of advance for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other recognised housing scheme shall be eligible for the grant of withdrawal under sub-clause (a), (c), (d) of sub-regulation (2) of this regulation for the purpose specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 18.

If the subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under this regulation for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of his duty.

Note 2 . Withdrwal under sub-clause (a), (c) and (d) of sub-regulation 2 of this regulation shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the addition or alteration to be made duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in case where the plan is actually got approved.

Note 3 : The amount of withdrwal sanctioned under for sub-clause (b) of sub-regulation 2 shall not exceed 3|4th of the balance of date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a) reduced by the amount of previous with drawal, the formula to be followed is 3|4th of (the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of previous withdrawal.

Note 4 : Withdrawal under sub-clause (a) of subregulation 2 shall also be allowed where the house site or home is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive provident fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 5 : Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to the house or flat covered by fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under subclause (a) or sub-clause (c) of sub-regulation 2 shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

Insert the following as Note No. 7 under sub-regulation (2)—

Note 7 : No partial final withdrawal may be permitted during the last 3 months of service. However in exceptional cases this may be permitted under the sanction of the Head of the department, impressing on the employee concerned the possibility of delay in the issue of authority for final withdrawal one month before the retirement.

The following shall be added as sub-regulation No. 5 :

"(5) In the following cases also part final|final withdrawals from the General Provident Fund are allowed."

(a) Employees who have completed 15 years of service (including broken period of service if any) or who have less than 5 years to attain the age of superannuation may be permitted to make part final withdrawals from their Provident Fund for purchasing Motor Car|Motor Cycle or Scooter etc. or for repay-

ing loan taken from the Port for this purpose subject to the following condition :

(i) The employees' Basic pay should be the equivalent of Rs. 3,500|- P.M. in case of Motor Cycle|Scooter.

(ii) The amount of withdrawals limited to Rs. 25,000|- for purchase of Motor Car and Rs. 4,000|- for the purchase of Motor Cycle| Scooter etc. Where the withdrawal has already been made for deposit for booking these vehicles the employees will be eligible for drawal of only the balance amount and also subject to the over all ceiling limit prescribed here. The total amount of withdrawal for this purpose (deposit for booking plus the amount required for purchase) should not exceed 50% of the amount standing to the credit of subscriber in the GPF account (including interest) on the date of withdrawal or the actual price of the vehicle whichever is less.

(iii) In special cases an advance refundable in not more than 36 instalments in the case of employees who may fall short of the minimum service 15 years by a period not more than 6 months may be allowed by the Chairman.

(iv) The employees who have been allowed advance according to (iii) above may be permitted to convert the outstanding balance of the advance into final withdrawal after completion of 15 years of service.

(v) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion.

(b) Employees who have completed 28 years of service or who have less than 3 years to attain the age of superannuation may be permitted to make final withdrawals from Provident Fund for extensive repair or overhauling of their Motor Cars subject to the following condition :

(i) Employees whose pay is equivalent to Rs. 1,400|-.

(ii) Amount of withdrawal is limited to Rs. 5,000 or 1|3rd of the amount standing to the credit of the subscriber in the G. P. Fund or the actual amount of repairing or overhauling whichever is the least.

(iii) Not less than 5 years should have elapsed since the car was purchased. In case of second hand cars the initial date of purchase by the first purchaser will be taken into account.

(iv) Such withdrawal shall be allowed only once in the service career of the subscriber.

(c) Employees who have completed 15 years of service (including broken period if any) may be permitted to make a partfinal withdrawal from the General Provident Fund for booking a Motor Car|Motor Cycle|Scooter|Moped etc. subject to the following conditions :

(i) The employees' basic should be equivalent Rs. 3,500|- for Motor Car and Rs. 1,500|- in case of Motor Cycle|Scooter etc.

(ii) The amount of withdrawal is limited to Rs. 10,000 in the case of Car and Rs. 500 in the case of Motor Cycle|Scooter etc., or 50% of the amount standing to the credit of the subscriber in the G. P. Fund or the actual amount of registration in the case of Motor Cycle|Scooter etc. whichever is less.

(iii) The amount of withdrawal shall not exceed the amount required for booking a car or Motor Cycle or Scooter etc.

(iv) The deposit receipt must be produced for verification by the concerned administrative authority within a period of one month from the date of drawal. Failure to do so would involve refund of the total amount of withdrawal.

(v) If the employee does not purchase a Car| Motor Cycle|Scooter etc. or gets out of the scheme he should immediately deposit the amount of final withdrawal together with interest received thereon from the manufacturer|dealer into the Provident Fund account.

(vi) In special cases when the minimum service of 15 years falls short by six months, advance recoverable in 36 instalments may be sanctioned and this is eligible for conversion into part final withdrawal after completion of 15 years service.

(vii) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion and subject to overall ceiling at present prescribed for withdrawal in G.P. Fund.

The following shall be added as sub-regulation No. 6.

"(6) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the General Provident Fund Account with reference to the latest available statement together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subscriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for, a reference may be made to the Accounts Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable the competent authority to determine the admissibility of the amount of withwrawal. The sanction for the withdrawal should prominently

indicate the General Provident Fund Account Number and a copy of the sanction should invariably be endorsed to the Accounts Officer. In case the Accounts Officer reports that withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sums withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.

14. In Regulation 18, under sub-regulation (1) of said Regulations, insert the following proviso and notes.

"Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in sub regulation 2 under regulation 17 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under regulation 4,5 and 6 of the New Mangalore Port Trust Employees (Grant of Advance fore Building of House) Regulations 1980, for grant for house building purpose."

"Provided that in the case of subscriber who has availed himself of an advance under the N.M.P.T. Employees (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations 1980 or has been allowed assistance from any other approved scheme the sum withdrawn under this sub-regulation together with the amount of advance taken under the above sources shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under the N.M.P.T. Employee (Grant of Advance for Building of Houses) Regulation 1980.

Note :—A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of sub-regulation 1 of regulation 17 may be drawn in instalments the number of which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counter from the date of sanction.

Note 2 :—In case when a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed, through the various schemes approved by the Government of India or a House Building Co-operative Society he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as payment for a separate purpose for the purpose of sub-rule (2) of rule 17."

The following proviso shall be inserted under sub-regulation 2 under the regulation.

"Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-regulation, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced, and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce he repayment in the manner prescibed in this sub-regulation".

The following proviso shall be inserted under sub-regulation (3) under the regulation :

"Provided such permission shall not be necessary for its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Bank, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advance loan for the construction of a new House or for making addition or alternatin to an existing house".

In the last sentence of this sub-reguliation the words "or let out as aforesaid" shall be inserted between the words "or other-wise transferred" and "and shall" and the words"mortgage or lease deed and also" shall be substituted for the words "deed and" occuring in the penultimate line.

In sub-regulation (4) the words "after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in tre matter" shall be inserted between the words "such repayment" and "it shall be ordered" occuring in the fourth line.

The following Note shall be inserted under Regulation 18 of the said Regulation :

Note :—A subscribed who has taken a loan from the New Managalore Port Trust and in lieu thereof mortgaged the house or house site to the Port Trust Board shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :—

I do hereby certify that the house or house site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to the Port Trust Board."

The following shall be added as sub-regulation 5 under the regulation :

"(5) A subscriber should not be granted a second withdrawal for house building purposes at any place if he has already been granted a final withdrawal for similar purposes at the same or another place. In other words, final withdrawal should not be allowed for more than one house."

15. Insert the following as Note under regulation 19 under he said Regulation :

"Note :—For the purpose of sub-regulation 1 of rule 17 the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance.

Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion".

In regulation 19 of the said Regulation, the reference to "'sub clause (b) and (c) of sub regulation (1)" shall be substituted by the words "sub regulation (1) to (4)."

The Form placed below shall be adopted as Form IX (A) Form of application for conversion of an Advance into a Final withdrawal."

16. In Regulation 27 of the said regulation, this regulation shall be deleted and regulation 28,29,30 and 31 shall be renumbered as 27,28,29 and 30 respecively.

17. In regulation 30, sub regulation (a) sub-clause (i) of the said Regulation's the amount Rs. 2300|- shall be substituted by the amount Rs. 2500|-

Note 5 shall be inserted under the Regulation :

"Note 5. The Budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits."

Principal Regulations :

Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Notification at GSR 157(E) dated 28th March 1980.

Administrative Office,
New Mangalore Port Trust,
Panambur, Mangalore-575010.

(B. MAHAPATRA, Chairman)

FORM IX-A (Regulation No. 19)

Form of Application for conversion of an advance into a final withdrawal.

1. Name of the subscriber
2. Designation and Office to which attached.
3. Pay
4. Name of the Provident Fund and Account Number
5. Balance at credit on the date of application (amount actually subscribed by him alongwith interest due thereon in the case of GPF subscriber).
6. (a) Balance outstanding to be converted into a final withdrawal.
   (b) Interest due on the amount of advance taken.
7. (a) Purpose for which advance taken,
   (b) Date of payment of the advance
   (c) Amount of advance sanctioned.
8. Particulars of communication under which advance was sanctioned.
9. Whether any advance or final withdrawal has been drawn previously for the purpose mentioned above if so, particulars thereof.
10. (1) Total service, including broken periods, if any, on date of this application.
    (b) Period of service left on the date of application for attaining the age of superannuation.
    (c) The date of superannuation

Place:
Date:
No:

Signature of the applicant

Dated

The above particulars have been verified to be correct.

Signature and Designation of recommending authority.

ORDER

No. Dated....

Sanction of...is hereby conveyed/accorded under Rule 19 of the New Mangalore Port Trust Employees (G.P.F.) Regulations, 1980 for the conversion into final withdrawal of an amount of Rs......................(Rupees......................only) being the outstanding balance out of the G.P.F. advance of Rs.................................sanctioned on...... 19..........and drawn in Bill No.... ....of ....for the (purpose)................. to Sri/Shrimathi/Kum .... of the office of the.. (G.P.F. Account No....................)

Signature...... ....

Designation.............. ...

No. Date ....

Copy forwarded to:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Signature . . . .

Designation............ .. . ..

FORM VI (Regulation 14)

Proforma for application for advance from Provident Funds

New Mangalore Port Trust

Department of............/Office.

Application of advance from...

(Here enter the name of Fund)

1. Name of the subscriber

2. Account Number (with Departmental suffix)

3. Designation

4. Pay

5. Balance at credit of the sbuscriber on the date of application as below.

   (i) Closing balance as per statement for the year Rs.

   (ii) Creit from..... ......to......on account of monthly subscription. Rs.

   (iii) Refunds Rs.

   (iv) withdrawals during the period from........to .... Rs.

   (v) Net balance at credit Rs.

6. Amount of advance/outstanding if any, and the purpose for which advance was taken by then..
Amount of advnace taken Rs..... ..... Balance outstanding as date Rs..... .....

7. Amount of advance required Rs.

8. (a) Purpose for which the advance is required.

(b) Rules under which the request is covered

(c) If advance is sought for House Building etc., following information may be given:–

(i) Location and measurement of the plot.

(ii) Whether plot is freehold or on lease.

(iii) Plan for construction

(iv) If the flat or plot being purchased is from a G.B. Society the name of the society, the location and measurements etc.,

(v) Cost of construction

(vi) If the purchase of flat is from DDA or any Housing Board, etc., the location dimension, etc. may be given

(d) If advance is required for education of children, following details may be given:–

(i) Name of the son/daughter

(ii) Class and Institution/College where studying

(iii) Whether a day-scholar or a hostler

(e) If advance is required for treatment of ailing family members, following detail may be given

(i) Name of the patient and relationship

(ii) Name of the Hospital/Dispensary/Doctor where the patient is undergoing treatment

(iii) Whether outdoor/indoor patient

(iv) Whether reimbursement available or not.

NOTE: In case of advance under 8(c) to 8(e), no certificate of documentary evidence would be required.

9. Amount of the consolidated advance (items 6 and 7 and number of monthly instalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid) Rs.....in instalments.

10. Full particulars of the pecuniary circumstance of the subscriber, justifying the application for the advance.

I certify that particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed by me.

Signature of Applicant

Dated :

Name.....

Designation... . .....

Section/Branch.....

Amendment to New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund) Regulations 1980

ANNEXURL-II

Sl. No.	Regulation to which Amendment is proposed	Original Provision in New Mangalore Port Employees (General Provident Fund Regulation 1980)	Amendment proposed	Justification
1	2	3	4	5
1.	Regulation 2	Definitions:– (e) Family means.— (i) In the case of a male Subscriber the wife or wives and children of a subscriber and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber.	"Minor brothers, unmarried sisters and parents and where no parents of the subscriber is alive a paternal grand parent".	As provided for in CCS (GPF) Rules 1962
		(ii) In the case of female subscriber, the husband and children of the subscriber and the widow or widow and children of a deceased son of a subscriber.	"Minor brothers, unmarried sisters and parents and where no parents of the subscriber is alive a paternal grand parent".	
2.	Regulation 4	4. Conditions of eligibility— (1) All temporary employees after a continuous service of one year, all re-employed pensioners other than those eligible for admissible to the contributory provident fund and all permanent employees shall subscribe to the fund.	4. Conditions of eligibility– 1. All temporary employees after a continuous serivce of one year, all re-employed pensioners other than those eligible for admission to the contributory provident Fund and all permanent employees shall subscribe to the fund.	The suggestions made by the committee on sub-ordinate legislation of Rajya Sabha in their meeting held at Panambur in October 1990 as communicated by the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) in their letter No. PR-12016/10/91-PE.I dated 25-2-91.
		(2) All temporary employees who complete one year of continuous service during the middle of the month shall subscribe to the fund from the subsequent month.	(2) All temporary employees who complete one year of continuous service during the middle of the month shall subscribe to the fund from the subsequent month.	
		(3) Temporary employees who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the fund at any time before completion of one year's service	(3) Temporary employees who have deen appointed, against regular vacancies and are lkiely to continue for more than a year may subscribe to the fund at any time before completion of one year's service	
		(4) The Board, may, at its discretion require any other category of employee to subscribe to the fund	(4) Employees who are subscribers to any contributory provident fund shall not be required to subscribe to the fund.	

1	2	3	4	5
		(5) Employees who are subscribers to any contributory provident fund shall not be required to subscribe to the fund.	(5) The procedure for admission of an employee to the fund shall involve the following namely:–	
		(6) The procedure for amission of an employee to the fund shall involve the following namely:– (a) Submission of an application form. (b) Allotment of account number. The Head of the office shall obtain the application from the empoyees 3 months ahead of the officials completing one year of service; in Form 1.	(a) Submission of an application Form 1 (b) Allotment of Account number. The Head of the office shall obtain the application from the employees 3 months ahead of the officials completing one year of service; in in Form 1	
3.	Regulation 6	6. Nomination : (1) A subscriber shall at the time of joining the fund send to the Accounts Officer a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund in the event of his/her death, before the amount has become payable, or having become payable, has not been paid : Provided that a subscriber, who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family.	6. Nomination :— (1) A subscriber shall at the time of joining the fund send to the Accounts Officer a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund in the event of his/her death, before the amount has become payable, or having become payable, has not been paid; "Provided that when a subscriber is a minor, he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority". "Provided that a subscriber, who has a family at the time of making the nomination, shall make such nomination only in favour of a member or members of his family. "Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he was subscribing before joining the fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the fund be deemed to be a nomination duly	

1	2	3	4	5
			made under this regulation until he makes a nomination in accordance with his regulation. Note : In this rule, unless the context otherwise requires "Person" or "Persons" shall include a company or Association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a fund such as the Prime Minister's National Relief Fund or any charitable or other trust or fund to which nomination may be made through the Secretary, or other executive authorised to receive payment."
4. Regulation		7. Subscriber's Accounts :— An account shall be maintained in the name of each subscriber and shall show the amount of his subscriptions with interest thereon calculated as prescribed in regulation 12 as well as advances and withdrawals from the fund.	7. Subscribers Account : An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown : (i) his subscriptions. (ii) Interest, as provided by rule 12 on subscription. (iii) Advances and withdrawal from the fund.
5. Regulation 8		8. Conditions and rates of Subscription : (i) A subscriber shall subscribe monthly to the fund except during the period when he is under suspension : Provided that a subscriber may at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary leave or carries leave salary equal to or less than half pay : Provided further that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one sum or in instalments any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscription payable for the period of suspension.	

1	2	3	4	5
			"Note:—A subscriber need not subscribe during a period of dies non"	
		(2) A subscriber shall intimate in writing his election not to subscribe during leave (referred to in the first proviso to sub-regulation (1) of regulation 8 to the Accounts Officer. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe. The option of a subscriber intimated under this sub-regulation shall be final.		
			(3) A subscriber who has under rule 21 withdrawn the amount standing to his credit in the fund shall not subscribe to the fund after such withdrawal unless he returns to duty".	
			(4) Not withstanding anything contained in sub-rule (1) a subscriber shall not subscribe to the fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the head of office in writing his option to subscribe for the said month.	
			(5) An employee due to retire on superannuation shall be exempted from making any subscription to the fund during the last 8 months of his service. The discontinuance of subscription would be compulsory and not optional.	
			(6) Such of the subscribers as are entitled to PLB or Performance, Reward may, if they so desire deposit the whole or part of the amount admissible under the scheme in their respective Provident Fund A/c.	
6. Regulation 9		9. Rate of subscription—		
		(2)		
		(a)		
		Provided that		
		(i) If the subscriber was on leave and elected not to	(i) If the subscriber was on leave on the said date and	

1	2	3	4	5
		subscribe during such leave on the said date his emoluments shall be the emoluments to which was entitled on the first day after his return to duty.	elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his returns to duty.	
7.	Regulation 12	12. Interest—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) the Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Board:	12. Interest—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) the Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Board:	The suggestions made by the Committee on Sub-ordinate legislation of Rajyasabha in their meeting held at Panambur in October 1990 as communicated by the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) in their letter No. PR-12016/10-91-PE.I dated 25-2-1991.
		Provided that, if the rate of interest determined for a year is less than 4 per cent all subscribers to the fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4 per cent shall be allowed interest at 4 per cent	Provided that, if the rate of interest determined for a year is less than 8 per cent all subscribers to the fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 8 per cent shall be allowed interest at 8 per cent.	
		(4) In addition to any amount to be paid under the regulation 21, 22 and 23 interest thereon upto end of the month preceding that in which the payment is made upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable, whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:		
		Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (Or his agent) a date on which he is prepared to made in cash, or has posted a cheque in payment to that person interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated or the date of posting the cheque as the case may be.		
			"Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate owned or	

1	2	3	4	5
			controlled by the Government or an autonomous organisation registered under the Socieites Registration Act 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber becomes payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of order of absorption shall be deemed to be subscription to the fund only for the purpose of awarding interest under this sub-regulations.	
			5. xx xx	
		5. Interest shall not be credited to the accounts of a subscriber if he informs the accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.	(6) The interest on amounts which under sub-regulation (3) of regulation 11 regulation 21 or regulation 22are replaced to the subscriber in fund, shall be calculated at such rates as/may be successively prescribed under Sub-Rule (1) of this regulation and so far as may be in the manner described in this regulation"	
			(7) In case a subscriber is found to have drawn from the fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal the over drawn amount, irrespective of whether the over drawal occured in the course of an advance or withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him within interest in one lumpsum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum, from the emoluments	

1	2	3	4	5
			of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments.	
8.	Regulation 13	13 Incentive Bonus Scheme	Deleted	
9.	Regulation 14	14. Advance from the fund(1)	14(1)	
		(d) To meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purported to be done by him in the discharge, of his official duty the advance being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source. 2. xx xx 3. xx xx	"(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent on him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source (Port)". 2. xx xx 3. xx xx (4) When an advance is sanctioned under sub-rule (2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount". (5) No temporary advance shall be sanctioned during the last 3 months of service in order to enable the Accounts Officer to complete the task of issuing Authority for payment one month before the retirement.	
10.	Regulation 15	15. Recovery of Advance— (1) (2) (3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before payment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn, shall forthwith be repaid by the subscriber to the fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from		

1	2	3	4	5
		the emoluments of the subscriber in a lumpsum or in monthly instalments not exceeding 12 as may be as directed by the Chairman or the authority competent to sanction an advance under Explanation 2 to sub-regulation (3) of regulation 14.		
			"Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment should not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the Chairman for decision, and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment shall be enforced in the manner prescribed in this sub-rule".	

FORM VI

(See regulation 14)

PROFORMA FOR APPLICATION OF ADVANCE FROM PROVIDENT FUND

Port of New Mangalore.

APPLICATION FOR ADVANCE FROM (here enter the name of Fund)

1. Name of subscriber.
2. Account number (with Departmental suffix)
3. Designation
4. Pay
5. Balance at credit of the subscriber on the date of application as below:
   (i) Closing balance as per statement for the year.....
   (ii) Credit from .....to..... subscription.....
   (iii) Refunds
   (iv) Withdrawals during the period from.....to.....
   (v) Net balance at credit
6. Amount of advance outstanding if any and the purpose for which advance was taken then
7. Amount of advance required.

8. (a) Purpose for which advance is required

(b) Rules under which the request is covered

9. Amount of the consolidated advances (Items 6 & 7) and number of monthly instalments in which the consolidate advance is proposed to be repaid.

10. Full particular of the pecuniary circumstances of the subscriber, justifying the application for the advance.

Signature of the applicant

Name .....

Designation .....

Section/Branch .....

FORM VI

(Regulation 14)

Proforma for application for advance from Provident Funds

New Mangalore Port Trust.

Department of ...../office

Application for Advance from.....
(Here enter the name of Fund)

1. Name of the subscriber

2. Account Number (with Departmental suffix)

3. Designation

4. Pay Rs.

5: Balance at credit of the subscriber on the date of application as below:

(i) Closing balance as per statement for the year.....Rs.

(ii) Credit from .... to..... on account of monthly subscription Rs.

(iii) Refunds Rs.

(iv) Withdrawals during the period from....to.... Rs.

(v) Net balance at credit Rs.

6. Amount of advance/outstanding, if any, and the purpose for which advance was taken by them

Amount of advance taken Rs. Balance outstanding as on date Rs.....

7. Amount of advance required Rs.

8. (a) Purpose for which the advance is required

(b) Rules under which the request is covered

(c) If advance is sought for House Building etc., following information may be given:

(i) Location and measurement of the plot

(ii) Whether plot is freehold or on lease

(iii) Plan for construction

(iv) If the flat or plot being purchased is from a H.B. Society, the name of the Society, the location and measurements, etc.

(v) Cost of construction

(vi) If the purchase of flat is from DDA of any Housing Board, etc., the location dimension etc., may be given.

(d) If advance is required for education of children, following details may be given:—

(i) Name of the son/daughter

(ii) Class and Institution/College where studying

(iii) Whether a day-scholar or a hostler

(e) If advance is required for treatment of ailing family members, following details may be given:

(i) Name of the patient and relationship

(ii) Name of the Hospital/Dispensary/Doctor where the patient is undergoing treatment

(iii) Whether outdoor/indoor patient

(iv) Whether reimbursement available or not

Note . In case of advance under 8(c) to 8(e), no certificate or documentary evidence would be required.

9. Amount of the consolidated advance (items 6 & 7) and number of monthly instalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid Rs..... in instalments

10. Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber, justifying the application for the advance

I certify that particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed by me.

Dated:

Signature of Applicant

Name .....

Designation

Section/Branch

1	2	3	4	5
11.	Regulation 16	16. Wrongful use or Advance: Not with standing anything contained in these regulations if the Chairman is satisfied that money drawn as an advance from the fund under regulation 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money the amount in question shall forthwith be repaid by the subscriber to the fund. or in default ordered by the Chairman to be recovered by deduction, in one lump sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If the total amount to be repaid be more than half the subs - criber's emoluments recovery- shall be made in mothly instalments or moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him. Explanation : In this regulation, "emoluments" do not include subsistence grant.	"16. Wrongful use of Advance: Notwithstanding anything contained in this regulation, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as advance from the fund under Rule 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money. he shall communicate to the subscriber the reason for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipts of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount. in question to the fund forthwith or, in defult, order the amount to be recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If however the total amount to be repaid the more than half the subscribers emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments. of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him". Note : The term "emoluments in the rule does not include subsistence grant".	
12.	Regulation 17.	17. Withdrawal from the fund (1) (2) After the completion of 15 yeaas of service of subscriber or within ten years before the date of his retirement of subscription and	"(2) After the completion of (ten years) of service (including broken periods of service if any) of a subscriber or within ten years before	

1	2	3	4	5
		interest thereon standing to the credit of the subscriber of the fund for one or more of the following purposes., Namely : (a) (b)	the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the fund for one or more of the following purposes, namely :	
		(c) for constructing a house on a site purchased, utilising the sum withdrawn under clause (a)	"(c) Renovating, additions or alteration or up keep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the N.M.P.T. at a place other than the place of duty".	
			"(d) for constructing a house on a site purchased, utilising a sum withdrawn under clause (a)".	
			"(3) Within six months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both".	
			"(4) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid by the subscriber towards the group Insurance scheme for the employees organised by L.I.C. of India for NMPT on self financing and contributing basis".	
		Note 1: Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under regulation 17. But marriage/education of different children or illness on different occasions shall not be treated as the same purpose. 2. A withdrawal under regulation 17 shall, not be sanctioned if an advance under regulation 14 is being sanctioned for the same purpose at the sa metime.	Note 1: A subscriber who has availed himself of an advance under the NMPT for the grant of advance for house building purpose, or has been allowed any assistance in regard from any other recognised housing scheme shall be eligible for the grant of withdrawal under Sub-Clause (a), (c), (d) sub-regulation (2) of this regulation the purposes specified there in and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the provision to sub rule. (1) of rule 18".	

1	2	3	4	5
			If the subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under this regulation for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of duty.	
			Note 2: Withdrawal under sub-clause (a), (c) and (d) of sub regulation 2 of this regultion shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the addition or alteration to be made dul approved by the local municipal body of the area where the site of house is situated and only in cases where the plan is actually got approved.	
			Note 3: The amount of withdrawal sanctioned under for sub-clause (b) regulation 2 shall not exceed 3/4 of the balance on date of application together with the amount ot previous withdrawal under sub-clause (a) reduced by the amount of previous withdrawal, the formula to be followed is 3/4th of the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of previous withdrawal.	
			Note 4: Withdrawal under sub-clause (a) of sub regulation 2 shall also be allowed where the house site or home is in the the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive provident fund money in the nomination made by the subscriber.	

1	2	3	4	5
			Note 5: Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to the house or flat covered by fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second, or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or sub clause (c) of sub regulation (2) shall be allowed upto the limit laid down under note 3"	
			Note 6: A withdrawal under regulation 17 shall, not be sanctioned if an advance under regulation 14 is being sanctioned for the same purpose at the same time.	
			Note 7: No partial final withdrawal may be permitted during the last 3 months of service. However in exceptional cases this may be permitted under the sanction of the Head of the Department. Impressing on the employee concerned the possibility of delay in the issue of authority for final withdrawal one month before the retirement.	
			"(5) "In the following cases also part final/final withdrawals from the General Provident fund are allowed.	
			(a) Employees who have completed 15 years of service (including broken period of service if any) or who have less than 5 years to attain the age of superannuation may be permitted to make part final withdrawals from their Provident Fund for purchasing Motor Car/Motor Cycle or	

1	2	3	4	5
			Scooter etc. for repaying loan taken from the Port for this purpose subject to the following condition :	
			(i) The employees' Basic pay should be the equivalent of Rs. 3,500/- P.M. in case of Motor Car and Rs. 1,500/- P.M. in the case of Motor Cycle/Scooter.	
			(ii) The amount of withdrawals, limited to Rs. 25,000/- for purchase of Motor car and Rs. 4,000/- for the purchase of Motor Cycle/Scooter etc., Where the withdrawal has already been made for deposit for booking these vehicles the employees will be eligible for drawal of only the balance amount and also subject to the over all ceiling limit prescribed here. The total amount of withdrawal for this purpose (deposit for booking plus the amount required for purchase) should not exceed 50 % of the amount standing to the credit of subscriber in the GPF account (including interest) on the date of withdrawal or the actual price of the vehicle whichever is less.	
			(iii) In special cases an advance refundable in not more than 36 instalments in the case of employees who may fall short of the minimum service of 15 years by a period of not more than 6 months may be allowed by the Chairman.	
			(iv) The employees who have been allowed advance according to (iii) above may be permitted to convert the outstanding balance of the advance into final withdrawal after completion of 15 years of service.	

— 1	2	3	4	5
			(v) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion.	
			(b) Employees who have completed 28 years of service or who have less than 3 years to attain the age of superannuation may be permitted to make final withdrawals from Provident fund for extensive repair or overhauling of their Motor Cars subject to the following condition :	
			(i) Employees whose pay is equivalent to Rs. 1,400/-	
			(ii) Amount of withdrawal is limited to Rs. 5,000/- or 1/3rdof the amount standing to the credit of the subscriber in the G.P. Fund or the actual amount of repairing or overhauling whichever is the least.	
			(iii) Not less than 5 years should have elapsed since the car was purchased. In case of second hand cars the initial date of purchase by the first purchaser will be taken into account.	
			(iv) Such withdrawal shall be allowed only once in the service career of the subscriber.	
			(c) Employees who have completed 15 years of service (including broken period of service if any) may be permitted to make a part final withdrawal from the General Provident fund for booking a Motor Car/Motor Cycle/ Scooter/Moped etc., subject to the following conditions :	
			(i) The employees basic should be equivalent to Rs. 3,500/- for Motor Car and Rs. 1500/- in case of Motor Cycle/Scooter etc.	

1	2	3	4	5
			(ii) The amount of withdrawal is limited to Rs. 10,000/- in the case of car and Rs. 500 in the case of Motor Cycle/Scooter etc. or 50% of the amount standing to the credit of the subscriber in the G.P. Fund or the actual amount of registration in the case of Motor Cycle /Scooter etc. whichever is less;	
			(iii) The amount of withdrawal shall not exceed the amount required for booking a car or Motor Cycle or Scooter etc.	
			(iv) The deposit receipt must be produced for verification by the concerned administrative authority within a period of one month from the date of drawal. Failure to do so would involve refund of the total amount of withdrawal.	
			(v) If the employee does not purchase a car/Motor cycle, Scooter etc. or gets out of the scheme he should immediately deposit the amount of final withdrawal together with interest received thereon from the manufactuerer/ dealer into the Provident Fund Account.	
			(vi) In special cases when the minimum service 15 years falls short by six months, advance recoverable in 26 instalments may be sanctioned and this is eligible for conversion into part final withdrawal after completion of 15 years of service.	
			(vii) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion and subject to overall ceiling at present prescribed for withdrawal in G.P. Fund.	
			(6) "Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his	

1	2	3	4	5
			credit in the General Provident Fund Account with reference to the latest available statement together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may inself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subscriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for a reference may be made to the Accounts Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable to the competent authority to determine the admissibility of the amount of withdrawal.	
			The sanction for the withdrawal should prominently. indicate the General Provident Fund Account number and a copy of the sanction should invariably be endorsed to the Account Officer. In case the Accounts officer reports that withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise. inadmissible, the sums withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either	

1	2	3	4	5
			in lumpsum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Chairman.	
13.	Regulation 18	18. Condition of Withdrawal :		
		(1) Any sum withdrawn by subscriber at any time for one or more purposes specified in regulation 17 from the amount standing to his credit in the fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six months' pay whichever is less. The sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto three fourths of the balance at his credit in the fund, having due regard to:		
		(i) The object for which the withdrawal is made (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount to his credit in the fund.		
			"Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in sub-regulation 2 under Regulation 17 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under Regulation 4, 5 and 6 of the New Mangalore Port Trust, Employees (Grant of advance for Building House).	
			Regulation 1980, for the grant of advance for house building purpose.	
			'Provided that in the case of subscriber who has availed himself of an advance under the NMPT Employee (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations 1980 or has been allowed assistance from any other approved scheme the sum withdrawn under this sub-regulation together with the amount of advance taken under the above sources shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under the	

1	2	3	4	5
			NMPT Employees (Grant of Advance for Building of Houses) Regulations 1980. Note :—A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause(a) of sub-regulation 2 of regulation 17 may be drawn in instalments the number of which shall not exceed from in a period of twelve calender months counted from the date of sanction. "Note :—In case when a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the various schemes approved by the Government of India or a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub rule(1) of rule 16.	
		(2) A subscriber who has been permitted the withdrawal of money under regulation 17 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn and if fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so-much thereof as has not been applied for such purposes for which it was withdrawn, shall forthwith, be repaid into one lumpsum together with interest thereon at the rate determined under regulation 12 by the subscriber to the fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments, either in a lumpsum or any		

1	2	3	4	5
		such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.		
			"Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub regulation, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub regulation".	
		(3) A subscriber, who has been permitted under regulation (2) of regulatio 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the fund, shall not part with the possession of the house so built or, acquired for house site so purchased, by way of sale, Mortgage (other than mortgage to the sanctioning authority) or gift, without the previous permission of the sanctioning authority. He shall also not part with the possession of such house or house site by way of exchange or lease from term exceeding three years without the previous permission of the sanctioning authority. The subscriber shall submit a declaration not later than 31st day of December. of every year to the effect as to whether the house or house site as the case may be, continues to be his possession or has been mortgaged or otherwise transferred and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or	(3) A subscriber, who has been permitted under regulation (2) or regulation 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the fund, shall not part with the possession of the house so built or, acquired for house site so purchased, by way of sale, mortgage (other than mortgage to the sanctioning authority or gift, without previous permission of the sanctioning authority. He shall also not part with the possession of such house or house site by way of exchange or lease for a term exceeding three years without the previous permission of the sanctioning authority. The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year to the effect as to whether the house or house site. as the case may be continuous to be in his possession or has been mortgaged or otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required. produce before the sanctioning	

1	2	3	4	5
		before the date of specified by that authority in that behalf, the original sale deed and other documents on which his title to the property is based.	authority or o r before the date specified by that authority in that behalf, the original mortgage or lease deed and also the the other documents onwhich his title to the property is based. "Provided such permission shall not be necessary for its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Bank, the Life Insurnance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advance loans for the construction of a new House or for making addition or alteration to an existing house.	
		(4) If at any time before retirement the subscriber parts with the possession of the house or house site without obtaining the previous permission of the sanctioning authority the sum withdrawn by him shall forthwith be repaid in one lumpsum to the fund and in default of such repayment it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lumsum or in lumpsum or in such number or monthly instalments as may be determined by the Board.	(4) If at any time before retirement the subscriber parts with the possession of the house or house site without obtaining the previous permission of the sanctioning authority the sum withdrawn by him shall forthwith be repaid in one lumpsum to the fund and in default of such repayment after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Board. "Note :—A subscriber who has taken a loan from the NMPT and in lieu thereof mortgaged the house or house site to the Port Trust Board shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :— "I do hereby certify that the house or house site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from	

1	2	3	4	5
			the Provident Fund continues to be in my possession by stands mortgaged to the Port Trust Board". (5) A subscriber should not be granted a second withdrawal for house building purposes at any place if he has already been granted a final withdrawal for similar purposes at the same or another place. In other words, final withdrawals should not be allowed for more than one house"	
14. Regulation 19	19. Conversion of an advance into a withdrawal : A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 14 for any of the purpose, specified in sub-clauses (b) and (c) of sub-regulation (1) or regulation 17, may covert, at his discretion, by a written request addressed to the Accounts officer through the sanctioning authority, the balance outstanding against him into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in regulations 17 and 18.	19. Conversion of an advance into a withdrawal :—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 14 for any of the purpose, specified in sub-regulation (1) to (4) of Regulation 17, may convert, at his discretion by a written request addressed to the Accounts Officer through sanctioning authority, the balance outstanding against him into a final withdrawal/ on his satisfying the conditions laid down in regulations 17 and 18. "Note :—For the purpose of sub-regulation 1 of rule 17 the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the susbcriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion."	

1	2	3	4	5

Form IX A

(Regulation 19)

Form of Application for conversion of an advance into a final withdrawal.

1. Name of the subscriber——

2. Designation and office to which attached——

3. Pay——

4. Name of the Provident Fund and Account Number——.

5. Balance at credit on the date of application(amount actually subscribed by him alongwith interest due thereon in the case of G.P.F. subscriber)——

6. (a) Balance outstanding to be converted into a final withdrawal——

   (b) Interest due on the amount of advance taken.——

7. (a) Purpose for which advance taken——

   (b) Date of payment of the advance——

   (c) Amount of advance sanctioned——

8. Particulars of communication under which advance was sanctioned——

9. Whether any advance or final withdrawal has been drawn previously for the purpose mentioned above. If so, particulars thereof.

10. (a) Total service, including broken periods, if any, on date of this application——

    (b) Period of service left on the date of application for attaining the age of superannuation——

(c) The date of superannuation :—

Place :

Date :

Signature of the Applicant
Dated :

The above particulars have been verified to be correct.

Signature and designation of recommending authority

ORDER

No. Dated.....

Sanction of.....is hereby conveyed/accorded under Rule 19 of NMPT (GPF) Regulation, 1980, for the conversion into final withdrawal of an amount of Rs.....Rupees..... only) being the outstanding balance out of the GPF advance of Rs..... sanctioned on.....19.... and drawn in Bill No..... of.....forthe (purpose) .....to Sri/Smt./ Kumari.....of the office of the..... (G.P.F. Account No..... .....)

Signature.....

Designation.....

No.

Copy forwarded to :

(i)

(ii)

(iii).....etc. etc.

Signature .....

Designation .....

1	2	3	4	5
15.	Regulation 27.	27. Relaxation of the provisions and regulations in individual cases-When the Board is satisfied that the operation of any of these regulations causes, or is likely to cause, undue hardship to a subscriber, the Board may, notwithstanding anything contained in these regulations, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable.	deleted	
16.	Regulation 28.	28. Number of account to be quoted at the time of payment of subscription when paying subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the fund which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.	27. Number of account to be quoted at the time of payment of subscription when paying subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the fund which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.	
17.	Regulation 29.	Annual statement of accounts to be supplied to subscribers(1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his accounts in the fund showing the opening balance as on the 1st April of the year the total amount credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account on enquiry whether the subscriber.	28. Annual statement of accounts to be supplied to subscribers (1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his accounts in the fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account on enquiry wether the subscriber	
		(a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 6 or under the corresponding regulation in force earlier;	(a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 6 or under the corresponding regulation in force earlier;	
		(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under regulation 6.	(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under regulation 6.	

	(2) Subscribers shall satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and they shall bring to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement by them any inaccuracy or error in such statement.	(2) Subscribers shall satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and they shall bring to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement by them any inaccuracy or error in such statement.
	(3) The Accounts Officer, shall, if required by a subscriber, once but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing in his credit in the fund at the end of the last month for which his account has been written up.	(3) The Accounts Officer, shall, if required by a subscriber, once but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing in his credit in the fund at the end of the last month for which his account has been written up.
18. Regulation 30.	30. Deposit linked insurance scheme :-	29. Deposit linked Insurance scheme—
	On the date of subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that:-	On the date of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that :-
	(a) The balance at the credit of such subscriber' shall be not any time during the 3 years preceding the month of death have below the limits of,	(a) The balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the 3 years preceding the month of death have below the limits of.
	(i) Rs. 4000 in the case of subscriber who held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1300 or more;	(i) Rs. 4,000 in the case of a subscriber who held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,300 or more :
	(ii) Rs. 2300 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 900 or more but less than Rs. 1300;	(ii) Rs. 2500 in the case of subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 900 or more but less than Rs. 1,300;
	(iii) Rs. 1,500 in the case of subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post maximum of the pay scale of which is Rs. 290 or more but less than Rs. 900;	(iii) Rs. 1,500 in the case of subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 290 or more but less than Rs. 900;

1	2	3	4	5
		(iv) Rs.1,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aofresaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 290.	(iv) Rs.1,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs.290.	
		(b) the additional amount payable under this regulation shall not exceed Rs.10,000.	(b) the additional amount payable under this regulation shall not exceed Rs.10,000.	
		(c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his death, including the service in the Port of New Mangalore, before the formation of the Port Trust.	(c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his death, including the service in the part of New Margalore, before the formation of the Port Trust.	
		NOTE 1 : The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above—	NOTE 1 : The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above—	
		(a) The balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of regulation 12; and	(a) The balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of regulation 12; and	
		(b) If the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.	(b) If the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.	
		NOTE 2 : Payment under this scheme shall be in whole rupees. If an amount due includes a fraction of a rupee, it should be rounded to the nearest rupee, (50 paise counting as the next higher rupee).	NOTE 2 : Payment under this scheme shall be in whole rupees. If an amount due includes a fraction of a rupee, it should be rounded to the nearest rupee, (50 paise counting as the next higher rupee).	
		NOTE 3 : Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), does not apply to sums payable under this scheme.	NOTE 3 : Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), does not apply to sums payable under this scheme.	

1	2	3	4	5
		NOTE 4 : In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment re-employment, as the case may be, only shall count for purpose of this rule.	NOTE 4 : In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment re-employment,as the case may be only shall count for purpose of this rule.	
			"NOTE 5 :—The Budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are one prepared for other retirement benefits".	
		(c) This scheme does not apply to person appointed on contract basis.	(c) This scheme does not apply to person appointed on contract basis.	
19.	Regulation 31.	Interpretation—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Central Government.	30. Interpretation—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Central Government.	

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992